# 27 मार्च 1947 को आमका में  हमला  एवम रक्तपात

## प्रस्तावना

आमका के जमींदारों और रियाया  (किसानों) के बीच संबंध 1946 की शुरुआत से ही अत्यधिक तनावपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम (1939 के अधिनियम XVII) की धारा 59 के तहत रियाया  द्वारा कई मुकदमे दायर किए गए थे ताकि उन्हें किरायदार घोषित किया जा सके। ग्राम आमका के प्लॉट नंबर 227 व 228 भूखंड जमींदार श्री चवल सिंह के है.  जमींदारों का कहना था कि रियाया का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था और उन्होंने उक्त भूमि पर कभी खेती नहीं की थी। जमीन उनकी खुदकश्त थी और उन्होंने ही उस पर खड़ी फसलें उगाई थीं।

रियाया ने राजस्व अदालतों में जमींदारों के खिलाफ लगभग 30 मुकदमे दायर किए थे। ये मामले विभिन्न अदालतों में सुनवाई के विभिन्न चरणों में लंबित थे।

रियाया ने महात्मा गांधी सहित उस समय के विभिन्न राजनीतिक नेताओं को उनके खिलाफ जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर करने के लिए ज्ञापन भी प्रस्तुत किए थे।

27 मार्च 1947 की सुबह दोनों पक्षों के गुस्से की पराकाष्ठा  जब हुई तब 8 जमींदारों और रियाया का समर्थन करने वाले 30 से 40 लोगों के बीच लड़ाई में 8 लोग मारे गए और 11 घायल हो गए।

## स्पष्टीकरण

इस लेख में दिया गया विवरण  शब्दशः अनुवाद नहीं हैं। पाठ संपादित किया गया है और दोहराए जाने वाले वाक्यों को हटा दिया गया है। इस लेख में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी और तथ्यों को शामिल करने का प्रयास किया गया है।

अनुरोध है कि 27 मार्च 1947 की सुबह आमका में हुए रक्तपात और उसके बाद के आपराधिक मामलों के मुक़दमे के बारे में परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति  पास किसी भी प्रकार की  जानकारी है, तो कृपया इसे  वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर से साझा करें ।

## लड़ाई के दौरान की घटनाएँ

न्यायालय की कार्यवाही में पूरी घटना को कानूनी मामलों की द्रष्टि से बहुत अच्छी तरह से उल्लेखित  किया गया है, जिसे सेशंस (सत्र ) न्यायालय, बुलंदशहर द्वारा निपटाया गया था। सेशंस  न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के एक-एक गवाह का परीक्षण करने के बाद सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने और लड़ाई के समय मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया. सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने भी सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। इस लेख में वर्णित मामले की पूरी कहानी सत्र न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णयों पर आधारित है।

# <u>बुलंदशहर के सत्र न्यायधीश की अदालत में ।</u>
# <u>सत्र न्यायाधीश श्री श्याम बिहारी लाल।</u>
# <u>क्रिमिनल केस नंबर 46 OF1947</u>

श्री श्याम बिहारी लाल, सत्र न्यायाधीश, आपराधिक सत्र विचारण न्यायालय संख्या 46, 1947 के अनुसार मामले में निम्नलिखित आरोपी थे:-

1. श्री इंद्रजीत सिंह, ठाकुर, पुत्र श्री नारायण सिंह, आमका आयु 47 वर्ष।

2. श्री इंद्रपाल सिंह, ठाकुर, पुत्रआमका के श्री प्रहलाद सिंह उम्र 20 वर्ष।

3. श्री रघुबीर सिंह, ठाकुर पुत्र आमका के श्री रिसाल सिंह उम्र 70- वर्ष।

4. श्री उदय प्रताप सिंह, ठाकुर पुत्र आमका के श्री राज सिंह आयु 35 वर्ष

5. श्री देवेंद्र सिंह, ठाकुर पुत्र आमका के श्री रघुबीर सिंह आयु 36 वर्ष

6. श्री राजेन्द्र सिंह, ठाकुर, पुत्र श्री रघुबीर सिंह आमका आयु 31 वर्ष

7. श्री अमर सिंह, ठाकुर, पुत्र आमका के श्री नरपत सिंह उम्र 38 वर्ष

8. आमका के सूबेदार बानी सिंह, ठाकुर, पुत्र श्री चंद्रभान सिंह उम्र 57 वर्ष।

9. श्री जीवन सिंह, गुर्जर पुत्र श्री अलबल सिंह, बड़पुरा उम्र 56 वर्ष

10. श्री आप सिंह, गुर्जर पुत्र श्री जीवन बधपुरा आयु 18 वर्ष

11. श्री भिखारी, चमार, पुत्र श्री लाल सिंह आमका आयु 18 वर्ष।

12. आमका के श्री भोंटा, ठाकुर पुत्र  श्री राम सिंह आयु 65 वर्ष

**अपराध 27.3.1947 को किया गया।**

बुलंदशहर के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट श्री आर पी  सिंह ने 11  नवंबर 1947 को अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी .

**सरकार के लिए**: कुंवर प्रसाद, लोक अभियोजक (पब्लिक प्रासीक्यूटर) और श्री गुरबचन सिंह वकील किये गए।

**कैदियों के लिए**: श्री ए. हून, बार-एट-लॉ और श्री उदयबीर सिंह नंबर 1,2, 4, 9 और 12 के लिए।

7, 8 के लिए श्री बसंत लाल, और श्री द्वारका प्रसाद और श्री बेनी सिंह 3, 5 और 6 के लिए पेश हुए।

कैदियों ने दोषी  होने इंकार किया। उन्होंने मुकदमा चलाने के लिए कहा।

**रियाया  के अनुसार:**

1. बड़पुरा गांव के रहने वाले बूटी और बीरबल के कब्जे में प्लॉट संख्या 227, 228- थे और उन्होंने इन भूखंडों पर खेती भी की थी। ये दोनों व्यक्ति लड़ाई में मारे गए।

2. चूँकि जमींदारों ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, अत: 17 मार्च 1947 को राजस्व न्यायालय में इसे सुपुरदारों की अभिरक्षा में रखने तथा इसका बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए एक अर्जी दाखिल की गई।

3. उन सभी व्यक्तियों ने, जो अपने को काश्तकार कहते थे, जमींदारों के विरुद्ध लगभग 30 की संख्या में घोषणात्मक मुकदमा दायर किए।

4. 17 मार्च 1947 को राजस्व न्यायालय में कमीशन जारी कर रबी की फसल कुर्क करने के लिए आवेदन दिया गया था। दुर्भाग्य से, उस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

5. 27 मार्च 1947 की सुबह लगभग 8 या 8.30 बजे, काश्तकारों को पता चला कि 26 मार्च 1947 को बूटी और बीरबल के खेतों में खड़ी फसल का एक हिस्सा कट गया था और शेष फसल काटा को जा रहा था। अगले दिन यानी 27 मार्च को जमींदारों  को फसल काटने से रोकने के लिए बूटी, बीरबल, मुख्तार, दलीप , रामदयाल गडरिया और हरसुख खेत में गए। जब हरसुख और अन्य लोग बूटी और बीरबल के खेतों में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुनहरी गूजर , श्यामा तेली और जीवन सरसों काट रहे थे, जो बूटी और बीरबल ने खेतों में उगाया  था। उन्होंने सर्वश्री बनी  सिंह, अमर सिंह, इंद्रजीत सिंह, रघुबीर सिंह, देवेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, इंद्रपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, बिरजवीर सिंह, नरेंद्र सिंह, आप्ताप सिंह उर्फ वाप्सी को भी वहां खड़े देखा।

6. सूबेदार बनी सिंह के पास पिस्तौल थी और श्री अमर सिंह, श्री  उदय प्रताप सिंह, श्री देवेंद्र सिंह और श्री बृजवीर सिंह बंदूकों से लैस थे। श्री इंद्रजीत सिंह, श्री रघुबीर सिंह और जीवन सिंह भाले से लैस थे जबकि अन्य व्यक्ति लाठियों से लैस थे। इन लोगों के अतरिक्त  अन्य व्यक्ति भी थे जिनकी संख्या  30 से 35 थी।

7. बूटी और बीरबल ने फसल काटने वाले जमींदारों से कहा कि आपके और हमारे बीच मुकदमा चल रहा है और हमने एक कमीशन जारी करने के लिए प्रार्थना की है। अगर कोर्ट आपको फसल देता है तो आप फसल काट सकते हैं। तब सूबेदार बनी  सिंह, श्री रघुबीर सिंह और श्री अमर सिंह ने कहा कि उन्हें आयोग की कोई परवाह नहीं है और वे आयोग के प्रश्न को यहां और अभी  सुलझा लेंगे। बूटी और बीरबल ने उत्तर दिया कि चूंकि जमींदारों ने फसल काट दी थी, वे इसे उठा लेंगे क्योंकि फसल पर उनका कब्जा है। फिर बूटी और बीरबल फसल लेने के लिए  जैसे ही झुके, आरोपितों और उनके साथियों ने अचानक ही बूटी, बीरबल और अन्य किराएदारों पर पिस्तौल, बंदूक, भाले और लाठियों से हमला कर दिया। किरायेदार पक्ष के आठ लोग मारे गए और ग्यारह घायल हो गए।

8. मारे गए आठ लोगों के नाम मुख्तार, बूटी, बीरबल, दलीप, राम दयाल, ज़हरीन, परशादी और बदले हैं. घायलों में हरसुख, छिद्दा पुत्र सम्मन, छिद्दा पुत्र नरोत्तम, जगराम, इतवारी, ग्यासा, होरम, नाथू, भोदानदी , श्रीमती लाडो और चेतू शामिल हैं।

9. छज्जन, चौकीदार ने लगभग 10.00 बजे दादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। छज्जन से शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी श्री मोहम्मद सैयद, द्वितीय अधिकारी महिपाल सिंह व अंचल निरीक्षक के साथ लगभग 11.00 बजे मौके पर पहुंचे. एसओ ने जांच रिपोर्ट तैयार कर शवों को मोर्चरी भिजवाया। उन्होंने सभी घायलों को भी देखा। आठ घायलों के बयान दर्ज किए और उन्हें सिकंदराबाद अस्पताल भेज दिया। उन्होंने मौके पर प्लॉट संख्या 227 और 228 पर तीन लाठियां पड़ी मिलीं। बंदूक के आठ कारतूस के खोके , दो जिंदा कारतूस और रिवाल्वर के चार खाली कारतूस के मामले भी बरामद हुए हैं.

10. एसओ ने आरोपी श्री रघुबीर सिंह, श्री इंद्रजीत सिंह श्री देवेंद्र सिंह और श्री उदय प्रताप सिंह को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। श्री राजेन्द्र सिंह ने 29 मार्च को स्वयं थाने में उपस्थित होकर बन्दुक जमा की।

11. अस्पताल में हरसुख, ग्यासी व छिद्दा पुत्र सम्मन की हालत गंभीर हो गई। श्री सैयद खुर्शीद हुसैन, तहसीलदार ने उनके मृत्युपूर्व बयान दर्ज किए। श्री खुर्शीद हुसैन से अदालती गवाह के रूप में भी पूछताछ की गयी।

12. श्री मो. सईद ने जांच पूरी करने के बाद सभी बारह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

सभी आरोपियों ने अपने को दोषी नहीं माना। उन्होंने मुकदमा चलाने को कहा। आरोपियों का कहना इस प्रकार था:-

उन्होंने (आरोपी) दावा किया कि घटना से कुछ महीनों पहले, कुछ लोग गाँव में आते थे और रियाया को बताते थे कि जमींदारी समाप्त होने जा रही है और जो व्यक्ति अपना नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज करवाएगा, वह उसका मालिक बन जाएगा। अक्टूबर की शुरुआत में बाबू राम कानूनगो रिश्वत मांग रहा था और आरोपियों ने उसके खिलाफ शिकायत की। रियाया के साथ मिलीभगत से, बाबूराम ने खरीफ 1354 के लिए खसरा कॉलम में 31 अक्टूबर 1946 को इस आशय की एक प्रविष्टि की कि कुछ भूखंड रियाया के कब्जे में थे। वास्तव में वह भूखंड अभियुक्तों के थे, उनके कब्जे में है और उनके पास है। इस मिलीभगत प्रविष्टि के आधार पर, रियाया, जिनकी संख्या लगभग 30 थी, ने जमींदारों के खिलाफ घोषणात्मक मुकदमे (डेक्लेरट्री सूट) दायर किए, लेकिन ऐसे सभी वादों को खारिज कर दिया गया।

27 मार्च 1947 की सुबह लगभग 7.30 बजे श्री इंद्रजीत सिंह अपने खेतों पर थे, जो विवादित भूखंड संख्या 227 और 228 के पूर्व में है। उस दिन श्री इंद्रजीत ने देखा कि रियाया के लोग वहां खड़े हैं और सरसों काट रहे हैं। वह उनकी ओर गए । श्री इंद्रपाल अपने ही खेत से प्लाट संख्या 227 और 228 में उनके पीछे-पीछे गए। श्री इंद्रजीत सिंह ने उनसे पूछा कि वह इसके मालिक की फसल क्यों काट रहे हैं। बीरबल ने उसे गाली दी और कहा कि वह उन खेतों की फसल काटेगा और जनता जमीन की मालिक बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वे (रियाया) उन ठाकुरों और जमींदारों को नष्ट कर देंगे।

श्री इंद्रजीत सिंह ने बीरबल को गाली न देने के लिए कहा। बीरबल रुका नहीं वह श्री इंद्रजीत सिंह की ओर बढ़ा और उन्हें और श्री इंद्रपाल सिंह को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में श्री इंद्रजीत और श्री इंद्रपाल सिंह ने भी लाठियों का प्रयोग किया। इसी बीच श्री उदय प्रताप सिंह वहां पहुंच गए। यह देखकर कि श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को पीटा जा रहा था, उन्होंने वहां से एक लाठी उठाई और उसका इस्तेमाल किया। लकिन उनकी लाठी हाथ से गिर पड़ी और वह भाग कर गांव आबादी की ओर गए । यह शोर सुनकर श्री रघुबीर सिंह, श्री देवेंद्र सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, श्री बनी सिंह और श्री अमर सिंह एक के बाद एक वहां पहुंचे। जब वे श्री इंद्रपाल सिंह और श्री इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचे, तो उन्होंने ऊंचे स्वर में पूछा कि वह उन्हें क्यों पीट रहे है और सरसों क्यों काट रहा है। उन्हें देखते ही बूटी, बीरबल और अन्य सभी रियाया के व्यक्ति, लगभग 35 से 40 की संख्या में बनी सिंह और अन्य की ओर बढ़े। बाद में फिर भी उन्हें जमींदरो ने चले जाने के लिए कहा। जब रियाया पार्टी ने उन पर दारांतियों और लाठियों से हमला किया, तब श्री बनी सिंह और श्री अमर सिंह ने अपनी रियाया को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं लेकिन वे हमला करते रहे। हरसुख ने श्री अमर सिंह पर लाठी से वार किया और उनकी बंदूक छीन ली। तब श्री रघुबीर सिंह ने हरसुख पर गोली चलाई। इसके बाद श्री अमर सिंह ने हरसुख से अपनी बंदूक बरामद की। रियाया पार्टी तब भी आरोपितों पर लाठी-डंडियों से हमला करती रही। मजबूर होने पर, श्री बनी सिंह, श्री अमर सिंह और श्री रघुबीर सिंह ने आत्मरक्षा में अपनी बंदूकों से गोली चलायी रियाया तब तक हमला करती रही जब तक वे नीचे गिर नहीं गए। किसी भी आरोपी के पास भाले नहीं थे।

अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूशन) के अनुसार, ये भूखंड लंबे समय से बीरबल और बूटी के कब्जे में थे और भूखंडों पर खड़ी सरसों की फसल उनके स्वामित्व में थी और उनकी थी। आरोपियों के मुताबिक, ये खेत बीरबल और बूटी या किसी अन्य किरायेदार या रियाया के कब्जे में कभी नहीं थे। ये खेत श्री चवल सिंह के खुदकाश्त में काफी समय से थे और श्री चवल सिंह ने ही फसल उठाई थी, जो घटना के समय इन भूखंडों में खड़ी थी। आरोपियों ने आरोप लगाया कि यह बीरबल और बूटी की पार्टी थी जो सरसों की फसल काट रही थी। उन्होंने पार्टी को रुकने के लिए कहा लेकिन उस पार्टी ने उन पर हमला किया और इसलिए, उन्होंने आत्मरक्षा में आग्नेयास्त्रों (फायर आर्म्स) का इस्तेमाल किया। वहीं अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपी जीवन सिंह, सुनहरी और श्यामा तेली सरसों की फसल काट रहे थे. फसल उन्हीं की होने के कारण उन्होंने आरोपितों से फसल न काटने को कहा। आरोपियों ने उनकी एक नहीं सुनी। तब बूटी और बीरबल ने कहा कि अगर जमींदारों ने फसल काट ली है, तो वे इसे उठा लेंगे । जैसे ही बूटी और बीरबल सरसों की फसल लेने के लिए आगे बढ़े, आरोपियों ने उन पर बंदूकों, पिस्तौल, भाले और लाठियों से हमला कर दिया।

माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह पता लगाना आवश्यक था कि क्या अभियुक्तों के कब्जे में प्लॉट संख्या 227 और 228 है और उन्होंने सरसों की फसल उगाई थी या बूटी और बीरबल कब्जे में थे और सरसों की फसल उन्होंने उगाई थी। इस गाँव में लगभग 30 व्यक्ति थे, जिनमें अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह भी शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न भूखंडों पर अपना किरायेदारों के रूप में दावा किया था। दूसरी ओर, अभियुक्तों का कहना है कि उनमें से कोई भी किरायेदार नहीं था और सभी भूखंड जमींदारों के खुदकश्त थे और उनके कब्जे में हैं। अभियोजन पक्ष के उन गवाहों ने जिन्होंने गांव में किसी भी भूखंड के

किरायेदार होने का दावा किया था, स्वीकार किया कि उनके पास उनके भूखंडों के संबंध में कोई पट्टा या विवाद लंबित नहीं है। हरसुख का कहना है कि जब वह छोटा था तो उसके घर में आग लग गई और सारे कागज जल गए और इसलिए उसके पास दिखाने के लिए कोई लेखन नहीं है कि वह भूखंड का किरायेदार है। उसे नहीं पता कि कौन से कागज जले। उसे यह भी नहीं पता कि किसी अन्य किराएदार का घर जला था या नहीं।

अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के पास किराए के भुगतान की कोई रसीद नहीं है। उन्होंने बताया कि बटाई पर उन्होंने जमीन ली थी और रसीद मांगी लेकिन रसीद नहीं दी गयी। रसीद नहीं देने की कोई शिकायत भी उन्होंने नहीं की। अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों का कहना है कि वे ज़मींदारों को नहर का बकाया भुगतान करते थे, लेकिन रसीद नहीं होती थी। श्री चवल सिंह कहते हैं कि उन्होंने पिछले वर्षों में 227 और 228 भूखंडों पर तंबाकू बोया और उत्पाद शुल्क का भुगतान किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों को यह पता ही नहीं था कि इन भूखंडों में कभी तंबाकू बोया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 1 अक्टूबर 1946 से पहले उनका नाम किसी भी राजस्व पत्र में दर्ज नहीं किया गया था । यह दिखाने के लिए कि वे किसी भूखंड के किरायेदार थे या कोई भूखंड उनके कब्जे में था। अब सवाल यह है कि बीरबल और बूटी के नाम 31 अक्टूबर, 1946 को कुछ भूखंडों पर कैसे दर्ज किए गए।

30 अक्टूबर 1946 को अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों ने बुलंदशहर के कलेक्टर को एक शिकायत भेजी। इस शिकायत की प्रतियां महामहिम वायसराय, माननीय पं. जवाहर लाल नेहरू, माननीय पं. गोविंद बल्लभ पंत, पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर एवं तहसीलदार, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर को दी गयी। इस शिकायत में उन्होंने कहा कि वे गांव आमका में लंबे समय से जमीन पर खेती कर रहे हैं । हालांकि नए नियमों के मुताबिक जमींदारों ने उन्हें खेती के लिए जमीन देने से मना कर दिया है। इससे पता चलता है कि 30 अक्टूबर 1946 को इन भूखंडों पर उनका कब्जा नहीं था। फिर वे आगे कहते हैं कि उन्होंने गाँव के पटवारी से पूछताछ की, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके भूखंड या खेत उनके पूर्वजों को दिए गए थे, न कि उन्हें। इससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी कि भूखंड उनके पूर्वजों के किरायेदारी के भूखंड थे।

उक्त शिकायत में वे आगे कहते हैं कि जमींदारों ने जबरन पूरी फसल काट ली थी और उन्हें और उनके परिवारों को पीटा था और उन्हें कुल रु. 6000/- का नुकसान पहुंचाया था. इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई और श्री चवल सिंह सहित किसी भी जमींदार के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई। अंत में, वे कहते हैं कि मामलों को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये और शिकायतकर्ताओं को खेती के लिए भूमि की अनुमति दी जाये । इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ताओं के पास इन भूखंडों पर कोई कब्जा नहीं है।

इस शिकायत में आगे कहा गया है कि जमींदारों ने शिकायतकर्ता को धमकाया और बंदूकें लेकर बाहर आ गए और कहा कि अगर वे उच्च अधिकारियों के पास गए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन कोर्ट के सामने हरसुख ने माना कि 27 मार्च 1947 से पहले काश्तकारों और जमींदारों के बीच कभी किसी जमीन को लेकर कोई झगड़ा नहीं था। छिद्दा पुत्र सम्मन ने भी स्वीकार किया कि उसने इस आवेदन पर अपने

अंगूठे का निशान लगाया था। वह नहीं जानता कि इसे किसने लिखा है और उसने बूटी और बीरबल के कहने पर अपना थम्ब इम्प्रेशन लगाया। जगराम ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने नरोत्तम के कहने पर अपना थम्ब इम्प्रेशन लगाया। वह इसकी विषय सामग्री नहीं जानता। इसी तरह, मंगल, राजपाल, खिमा ने स्वीकार किया कि उन्होंने किसी के कहने पर आवेदन पर अपना थम्ब इम्प्रेशन लगाया है और वे इसकी विषय सामग्री नहीं जानते हैं।

माननीय न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जमींदारों के खिलाफ की गई शिकायत सही नहीं थी। गवाह कक्ष में आने वाले अधिकांश लोगों ने अंगूठा अंकित किया लकिन शिकायतकर्ता को इसकी सामग्री नहीं पता है। यह शिकायत स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि 30 अक्टूबर 1946 को, बूटी और बीरबल प्लॉट संख्या 227 और 228 के कब्जे में नहीं थे।

31 अक्टूबर 1946 को एक अजीब बात हुई। खसरा के टिप्पणी कॉलम में प्लाट नं. 227 और 228 के अतिरिक्त 20 से अधिक खेतों के लिए मारे गए लोगों और वर्तमान घटना में घायल हुए लोगों सहित विभिन्न रियायाओं के नाम उनके कब्जे में होने के रूप में दर्ज किए गए थे।

यह बदलाव इस तरह से लाया गया। 1 अक्टूबर 1946 को सूबेदार बनी सिंह, श्री रघुबीर सिंह और श्री चवल सिंह ने तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो बाबू राम शर्मा के खिलाफ शिकायत करते हुए कलेक्टर को एक आवेदन दिया कि रामानंद पटवारी और बाबू राम कानूनगो गांव आमका गए। बाबू राम ने लगभग 23 रियाया लोगों के बयान दर्ज किए कि वे कुछ भूखंडों के किरायेदार थे। इन बयानों के आधार पर बिना किसी और से पूछताछ किये पटवारी को खसरा में प्रविष्टियां करने का आदेश दिया और पटवारी ने ऐसा किया।

रामानन्द पटवारी ने बताया कि प्लाट संख्या 227 एवं 228 श्री चवल सिंह के हैं तथा वह ही इसके अनन्य स्वामी हैं। भूखंड श्री चवल सिंह के खुदकाश्त थे; यह 31 अक्टूबर 1946 को उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम किरायेदारों के रूप में दर्ज किए। उन्होंने स्वीकार किया कि 1353 फ़ज़री में, वह भूखंड जमींदारों के कब्जे में थे और वह उनके खुदकाश्त में थे, न कि इन व्यक्तियों का। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने 1353 फ़ज़री के लिए जमाबंदी का सत्यापन किया था और यह पुष्टि की थी कि भूखंड जमींदारों के कब्जे में थे और उनके नाम पर नहर की पर्ची जारी की गई थी।

रामानंद ने कहा कि उन्होंने कानूनगो के कहने पर रियाया के कब्जे के बारे में प्रविष्टियां कीं, न कि पड़ताल (सत्यापन) के बाद, उन्होंने कहा कि कानूनगो ने 23 किरायेदारों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बयान दर्ज नहीं किए। उसने किसी जमींदार से भी पूछताछ नहीं की और न ही उनमें से किसी का बयान दर्ज किया।

वह बाबू राम शर्मा कानूनगो थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1946 को विवादित प्रविष्टियां करने का आदेश दिया था। उनका कहना है कि उन्हें तत्कालीन अधीक्षक कानूनगो से इस आशय का निर्देश मिला था कि यदि कोई व्यक्ति लिखित में इस आशय का बयान देता है कि वह था एक निश्चित भूखंड का किरायेदार है, तो खसरा के टिप्पणी कॉलम में उसके कब्जे के बारे में एक प्रविष्टि कर दी जाये । अधीक्षक का कोई आदेश

न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बाबू राम ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने 30 अक्टूबर 1946 को रामानंद पटवारी को आमका  का प्रभार लेने का आदेश दिया था और यह की उन्होंने 23 व्यक्तियों के बयान तहसील को नहीं भेजे थे। बाबू राम ने स्वीकार किया कि 31 अक्टूबर 1946 से पहले, बीरबल और बूटी सहित 30 राजस्व मामलों के वादी में से किसी का कब्जा उस तारीख से पहले किसी भी कागज में दर्ज नहीं किया गया है। बाबू राम ने खरीफ 1354 फ़ज़री  में  प्लॉट संख्या 227 और 228 के बारे में और अन्य सभी भूखंडों के बारे में,  टिप्पणी कॉलम में कब्जे की प्रविष्टि काली स्याही से की। काली स्याही से पता चलता है कि यह प्रविष्टि पिछले वर्षों से जारी थी जो एक तथ्य नहीं है। प्रविष्टियां लाल स्याही से की जानी चाहिए थीं क्योंकि वे नई थीं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस मामले में जमींदारों ने उनके खिलाफ शिकायत की  और 15 जनवरी 1947 को उनका तबादला कर दिया गया। 23 काश्तकारों के बयान लेने के अलावा, उन्होंने और पूछताछ नहीं की और 31 अक्टूबर 1946 से पहले, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि जमींदारों और किराएदार के बीच संबंध अच्छे नहीं थे।

बाबू राम कानूनगो के खिलाफ जमींदारों की शिकायत की जांच का  कार्य  श्री अंबा प्रसाद, नायब तहसीलदार, सिकंदराबाद को सौंपा गया था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाबू राम जमींदारों के खिलाफ रियाया  के साथ मिलीभगत कर रहे थे और सुझाव दिया कि उनका स्थानांतरण किया जाना चाहिए और कलेक्टर ने उन्हें स्थानांतरित कर दिया।

जब बाबू राम ने खसरा के टिप्पणी कॉलम में बीरबल और बूटी और अन्य रियायाओं के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था, तब बीरबल और बूटी और 29 अन्य व्यक्तियों ने अपने जमींदारों के खिलाफ घोषणात्मक मुकदमे दायर किये । सभी 30 मुकदमों  में एक समान आधार लिया गया कि वादी 50 वर्षों से अपने भूखंडों पर खेती कर रहे हैं। उन सभी 30 वादों को 27.3.1947 को वर्तमान घटना के बाद खारिज कर दिया गया था। इन सभी वादों में अपील आयुक्त के समक्ष लंबित है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बीरबल और बूटी कभी भी भूखंड संख्या 227 और 228 के कब्जे में नहीं थे और यह कि श्री चवल सिंह, जमींदार उन भूखंडों पर काबिज थे।  गेहूं और सरसों की फसलें भी श्री चवल  सिंह  द्वारा उगाई गईं थी न कि  बूटी और बीरबल द्वारा।

अभियोजन पक्ष की ओर से कहा जाता है कि 26 मार्च 1947 को भी  कुछ सरसों  काटी गई थी। हालांकि, हरसुख  PW  स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 26 मार्च को फसल काटते हुए नहीं देखा क्योंकि उस दिन वह बुलंदशहर में थे। 26 मार्च को बुलंदशहर या आमका में किसी ने उन्हें खबर नहीं दी कि फसल कट गई है. 27 मार्च 1947 की सुबह उन्हें इस बात का पता चला। 26 मार्च को जमींदारों द्वारा कोई फसल काटी गई होती तो निश्चित रूप से हरसुख को 26 मार्च 1947 की शाम को इसकी सूचना मिल  गई होती जब वह बुलंदशहर से आमका  लौटे। हरसुख का कहना है कि ज़हरीन ने उन्हें बताया था कि 26 को सरसों काटी गयी थी।  लेकिन ज़हरीन मर चुका है। हरसुख ने ज़हरीन से यह नहीं पूछा कि वह किसकी उपस्थिति में काटी गयी । वह अब तक नहीं जानता कि किसकी उपस्थिति में सरसों  काटी  गई । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि 26 मार्च को चंद मुकदमों के वादी बुलंदशहर आए थे और अन्य वादी आमका में ही थे. अगर 26 मार्च 1947 को फसल काटी गयी होती तो उसी दिन मारपीट हो जाती।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जमींदार आरोपी प्लॉट नंबर 227 और 228 से जीवान, सुनहरी और श्यामा के द्वारा सरसों की फसल कटवा रहे थे। । जब बीरबल और बूटी की पार्टी ने विरोध किया, तो जमींदारों ने उन पर बंदूकें और पिस्तौल तान दी और उन्हें भाले और लाठियों से घायल कर दिया। वहीं दूसरी ओर आरोपितों का मामला यह है कि बूटी, बीरबल और उनकी पार्टी के अन्य लोग सरसों काट रहे थे और जब उन्हें श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह ने सरसों न काटने के लिए कहा तो उन्होंने इन दोनों लोगों की पिटाई कर दी। बाद में जब श्री रघुबीर सिंह, श्री देवेंद्र सिंह श्री राजेंद्र सिंह, श्री अमर सिंह और सूबेदार बानी सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने बीरबल और बूटी को रोकने के लिए कहा। परन्तु बीरबल और बबूटी की पार्टी ने उन पर हमला कर दिया। इसका बाद आरोपियों ने आत्मरक्षा में अपने आग्नेयास्त्रों और लाठियों का इस्तेमाल किया। अब देखना यह है कि इन दोनों पार्टियों का कौन सा वर्जन सही है.

छज्जन, चौकीदार ने घटना के तुरंत बाद उसी दिन सुबह 10 बजे प्राथमिकी दर्ज करायी। प्राथमिकी के अनुसार रियाया सुबह आठ या नौ बजे जबरन सरसों काटने के लिए जमींदारों के खेत में गई थी। सर्वश्री इंद्रजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रघुबीर सिंह, अमर सिंह, देवेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह और सूबेदार बनी सिंह ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा लेकिन व्यर्थ। चौकीदार ने प्राथमिकी में काश्तकार पक्ष के लगभग 14 या 15 लोगों का नाम लिया और कहा कि वादी ने जमींदारों पर हमला किया, जिसके बाद जमींदारों ने अपने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कुछ मारे गए और कुछ घायल हो गए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि चौकीदार छज्जन घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और वह जमींदारों का पक्ष ले रहा है। छज्जन उसी मोहल्ले में रहता है जिसमें अभियोजन पक्ष के अन्य सभी गवाह रहते हैं। छज्जन का कहना है कि प्लॉट नंबर 227 और 228 के उत्तर पूर्व में एक कुएं पर खड़े होकर उन्होंने घटना को देखा। हरसुख ने पुलिस के सामने इस तथ्य को नहीं बताया। इस तथ्य को उन्होंने अपने मृत्युकालीन वक्तव्य में भी नहीं बताया था। यह मामला माननीय न्यायाधीश के पूर्ववर्ती के सामने भी आया था। हरसुख का बयान उनके सामने भी दर्ज हुआ। उस समय , उन्होंने यह नहीं कहा कि छज्जन किरायेदारों के खिलाफ थे और वहां मौजूद नहीं थे। हरसुख ने स्वीकार किया कि उसने छज्जन, छिद्दा , इतवारी और ग्यासा PW के साथ लदैती से खेती के लिए कुछ जमीन ली थी। अगर ऐसा है तो यह नहीं कहा जा सकता कि छज्जन जमींदारों का साथ दे रहा था। नरोत्तम के पुत्र चेतू और छिद्दा ने भी न तो पुलिस के सामने और न ही कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने यह बताया कि छज्जन वहां नहीं था या वह शत्रुतापूर्ण हो गया था। सच तो यह है कि छज्जन ने नाम लिया था सर्वश्री इंद्रजीत सिंह, इंद्रपाल सिंह, रघुबीर सिंह, अमर सिंह, देवेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह, सूबेदार बानी सिंह और बोंटा जो बताते हैं कि उन्हें जमींदारों से सहानुभूति नहीं थी और उन्होंने वहां जो कुछ भी देखा था, वही कहा।

छज्जन, चौकीदार ने कहा कि दोनों तरफ से बहुत गर्मजोशी से लड़ाई चल रही थी और किसी भी जमींदार के पास भाले नहीं थे। श्री रघुबीर सिंह और श्री अमर सिंह के पास बंदूकें थीं और शेष जमींदारों के पास लाठियां थीं। घायलों में से किसी को भी कोई पंचर या कटा हुआ घाव नहीं मिला है। छज्जन समझ नहीं पा रहा था कि कौन गिरा और किसने किसको पीटा। उन्हें यह भी नहीं पता कि किस पार्टी ने पहले हमला कर लड़ाई शुरू की। माननीय न्यायाधीश के अनुसार, ऐसा लगता है कि छज्जन कुएं पर मौजूद थे और उन्होंने दूर से ही घटना को देखा।

पुलिस के सामने चेतू PW ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ बूटी के खेत में सरसों काट रहा था उसी समय सूबेदार बनी सिंह, सर्वश्री अमर सिंह, देवेंद्र सिंह, चवल सिंह, राजेंद्र सिंह, उदय प्रताप सिंह हथियार लेकर आए। उनके पास पिस्तौल और बंदूकें थी । श्री इंद्रजीत सिंह भाले से और श्री इंद्रपाल सिंह लाठी से लैस थे । उन्होंने हमें सरसों नहीं काटने के लिए कहा लेकिन हमने उनके अनुरोध का पालन नहीं किया। आमका में रहने वाले उसके साथियों ने ठाकुरों पर हमला कर दिया। हरसुख और चेतू अब इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने दरोगा के सामने ये बयान दिए थे। अब उनका कहना है कि दरोगा की आरोपी से मिलीभगत है. चेतू का कहना है कि जब दरोगा ने उसका बयान दर्ज किया, तो उसने उसे कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने पढ़ा, और फिर उसने अपनी बुद्धि से अनुमान लगाया कि दरोगा की मिलीभगत थी।

इसके अतिरिक्त, उसके पास कोई और वजह नहीं थी यह मानने के लिए कि दरोगा ज़मीदारों से मिला हुआ है. । कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने यह बताया कि दरोगा ने जमींदारों के साथ मिलीभगत की थी। उसे पता नहीं है कि मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य को नोट किया था या नहीं।

कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया पूरा बयान चेतू को पढ़ा गया। यह सुनने के बाद उनका कहना है कि पुलिस के सामने दिए गए इस बयान के बारे में उनसे वहां पूछताछ नहीं की गई और इसलिए उन्होंने वहां इसका खंडन नहीं किया। पुलिस के सामने दिया गया उसका बयान उसे पढ़ा नहीं गया और उसने मजिस्ट्रेट को यह नहीं बताया कि दरोगा जमींदारों के साथ मिलीभगत कर रहा था और उसने अपना बयान गलत लिखा था। उन्होंने किसी अधिकारी से यह शिकायत भी नहीं की कि दरोगा ने उनका बयान गलत लिखा है। माननीय न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने से पहले चैतू ने इस तथ्य का किसी से भी उल्लेख नहीं किया।

नरोत्तम PW के पुत्र चिड्डा का भी कहना है कि दरोगा ने गलत बयान दर्ज किया और जमींदारों से उसकी मिलीभगत थी। उन्होंने आगे कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा उनसे पूछताछ के बाद वह फिर से बुलंदशहर आए और मजिस्ट्रेट ने रामबल का बयान उन्होने पढ़ा। रामबल ने उसे बताया कि कि दरोगा ने उन सभी का गलत बयान लिखा था। छिद्दा ने रामबल से पूछा कि उनके बयान का कौन सा हिस्सा गलत है तो रामबल ने जवाब दिया कि अगर उनका बयान गलत है तो छिद्दा का बयान भी गलत होगा। उसके बाद, छिद्दा ने यह नहीं पूछा कि दरोगा ने कौन सा गलत बयान दर्ज किया था। रामबल के मुताबिक दरोगा ने एक ही गलती की, वह यह थी कि उन्होंने उनके द्वारा दिए गए कुछ आरोपियों के नाम नहीं लिखे। इससे स्पष्ट है कि इस गवाह के पास यह कहने का कोई आधार नहीं है कि दरोगा आरोपी के साथ मिलीभगत है।

नत्थू PW ने भी कहा कि दरोगा ने गलत बयान लिखा था। लेकिन, उन्होंने माना कि आज से पहले उन्होंने दरोगा के खिलाफ यह शिकायत किसी और से नहीं की थी. उसने रामबल का बयान सुना था जिसने उसे बताया था कि दारोगा ने जो कुछ भी उसके सामने कहा था उसे दर्ज नहीं किया था। क्योंकि रामबल का बयान ठीक से नहीं लिखा गया था, इसलिए उसने सोचा कि उसका बयान भी दारोगा द्वारा सही नहीं किया गया होगा।

इस मामले की जांच करने वाले थानाध्यक्ष श्री मो. सईद ने कहा कि गवाहों के बयान में उन्होंने वही लिखा जो गवाहों ने उनके सामने कहा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि उन्होंने वह नहीं लिखा जो गवाहों ने उनके सामने कहा था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जो उनके द्वारा नहीं कहा गया था। श्री महिपाल सिंह, द्वितीय अधिकारी के साथ-साथ अंचल निरीक्षक भी मौके पर साथ गए थे। उसी दिन पुलिस अधीक्षक और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। श्री मोहम्मद सईद ने घायल लोगों से बात की थी। इन परिस्थितियों में, माननीय न्यायाधीश यह मानने को तैयार नहीं कि श्री सैयद ने उन बयानों के साथ कोई छेड़खानी की होगी।

इससे पता चलता है कि काश्तकार सरसों काटने गए थे और जमींदार सरसों नहीं काट रहे थे। 26 मार्च 1947 को, बीरबल और बूटी और अन्य लोगों के विद्वान वकील ने उनसे कहा था कि अगर वे इसे बोते तो वे सरसों काट सकते थे। अगली सुबह सरसों काट दी गयी । इसलिए काश्तकारों की पार्टी ही सरसों काट रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया जाता है कि जीवन, सुनहरी और श्यामा सरसों काट रहे थे. जहां तक जीवन का संबंध है, अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाहों का कहना है कि उसके पास भाला था और उसने किराएदार की पार्टी के लोगों को अपने भाले से चोट पहुंचाई। लेकिन पीएमई (पोस्टमार्टम परीक्षा) की रिपोर्ट और चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि 8 मृत और 11 घायलों में से एक भी व्यक्ति को पंचर घावों या कोई चीरा नहीं लगा था। इसलिए, यह बहुत कम संभावना है कि जीवन सरसों काट रहा था।

अगला प्रश्न यह है कि कितने व्यक्ति किरायदार पार्टी में थे और कितने जमींदार की पार्टी में । किरायेदार की पार्टी में से आठ मारे गए और ग्यारह घायल हो गए। इसलिए यह पार्टी कम से कम 19 लोगों की थी । हरसुख का कहना है कि नौ व्यवक्ति जिनके नाम राजपाल, मंगल, खीमा, भवानी, हरदास, नरोत्तम, निधि, श्रीपाल और काले भी थे। इसका मतलब है कि किरायेदार की पार्टी में कम से कम 28 व्यक्ति थे। श्री सैयद खुर्शीद हुसैन, तहसीलदार को हरसुख द्वारा दर्ज अपने मृत्युकालीन बयान में 24 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे सरसों काटने एक साथ गए थे। माननीय न्यायाधीश के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि सभी व्यक्ति एक साथ वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि कुछ गवाह उनके घर से मारपीट की जगह पहुंचे, कुछ खेतों से और कुछ रास्ते से। फिर भी, उन सभी ने शुरुआती बातचीत सुनी, जो दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच हुई। इससे पता चलता है कि वे सभी एक साथ गए थे और एक-एक करके वहां नहीं पहुंचे। अभियोजन पक्ष की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया गया कि वे एक साथ एकत्र नहीं हुए थे।

हरसुख का कहना है कि जब उन्होंने तहसीलदार के सामने बयान दिया तो वह बेहोश हो गए थे. माननीय न्यायाधीश को इस आर विश्वास नहीं हुआ कि हरसुख बेहोश थे। इसका कारण है कि उनके बयान के बारे मे डॉ. दुबे का प्रमाण पत्र है कि उस समय हरसुख अपने उचित होश में थे। इससे पता चलता है कि किरायेदार के पक्ष में व्यक्तियों की संख्या 28 से कम नहीं थी।

अब सवाल यह है कि आरोपी के पक्ष में कितने लोग थे। हरसुख का कहना है कि वर्तमान आरोपी के अलावा 10 या 12 अन्य लोग थे। लेकिन वह उनमें से किसी का नाम नहीं ले सकता। होरम का कहना है कि जमींदारों के पक्ष में 30 या 35 व्यक्ति थे। छिद्दा भी वही नंबर देता है। चेतू का कहना है कि 16 या 17

अन्य व्यक्ति उससे 2 या 3 कदम की दूरी पर खड़े थे लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता और यह नहीं जानता कि वे उसके गांव के हैं या नहीं। ग्यासा उनका नंबर 15 या 16 देता है लेकिन उसने भी उनमें से किसी को नहीं पहचाना। जगराम का कहना है कि जमींदार की पार्टी की कुल संख्या 30 से 35 थी। वह केवल पहले नौ आरोपियों को ही पहचान सकता था।

अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा कि वे बंदूकों की गोलीबारी से उठे घने धुएं के कारण इन व्यक्तियों को पहचान नहीं पाए। लेकिन मारपीट शुरू होने से पहले उन्होंने इन व्यक्तियों को देखा था और पहचाना होगा। वैज्ञानिक अनुभाग के प्रभारी अधीक्षक द्वारा खाली कारतूसों की जांच की गई और उनका कहना है कि ये कारतूस धुआं रहित थे। फिर भी अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह जमींदार पक्ष के एक भी व्यक्ति को नहीं पहचान सका। माननीय न्यायाधीश ने निर्णय में लिखा है कि वह यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि पहले आठ अभियुक्तों के अलावा ज़मींदारों की ओर से कोई और था।

अगला सवाल उन हथियारों के बारे में था जो आरोपियों के पास थे । हरसुख का कहना है कि वह भालों से लैस लोगों को पहचान नहीं पाए। जिरह में उनका कहना है कि श्री इंद्रपाल सिंह और दो अन्य लोगों के पास भाले थे। उन्होंने आगे कहा कि सम्मन और ग्यासा के पुत्र छिद्दा को भाले के घाव मिले हैं। हालांकि, उनकी चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि उनमें से किसी को भी कोई पंचर या कटा हुआ घाव नहीं मिला है।अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह यह नहीं कहता कि श्री इंद्रजीत सिंह, श्री रघुबीर सिंह और श्री जीवन के पास भाले थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया।

ग्यासा का कहना है कि जीवन ने उसे अपने भाले से तीन बार मारा। जगराम का यह भी कहना है कि जीवन ने ग्यासा को भाला मारा अन्य गवाहों ने भी कहा कि जीवन के पास भाला था और उसका इस्तेमाल किया। हालांकि, पीएमई और चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि किरायेदारों की ओर से एक भी व्यक्ति को चीरा या भाला घाव नहीं मिला है। इसलिए, अभियोजन पक्ष के मामले का यह हिस्सा कि आरोपी व्यक्तियों में से कोई एक भाले से लैस था गलत है और एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता।

हरसुख कहता हैं कि श्री रघुबीर सिंह के पास लाठी थी। लेकिन पुलिस के सामने उसने कहा कि श्री रघुबीर सिंह के पास बंदूक है। छिद्दा को याद नहीं कौन सा अस्त्र श्री रघुबीर सिंह के पास था। अन्य गवाहों का कहना था कि श्री रघुबीर सिंह के पास भाला था। माननीय न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा है कि उन्होंने इस बिंदु पर पहले ही उल्लेख किया है कि किसी भी आरोपी के पास भाला नहीं था और इस बिंदु पर अभियोजन पक्ष के गवाहों पर विश्वास नहीं किया जा सकता । श्री रघुबीर सिंह स्वयं स्वीकार किया है कि उनके पास एक बंदूक थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। माननीय न्यायाधीश आगे लिखते हैं कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री रघुबीर सिंह बंदूक से लैस थे, भाले से नहीं। इससे पता चलता है कि श्री सईद द्वारा दर्ज सभी बयान गलत नहीं हैं।

अब माननीय न्यायाधीश मुख्य घटना पर विचार करते हैं। हरसुख का कहना है कि बीरबल और बूटी ने घटना के दिन उन लोगों से कहा जो सरसों काट रहे थे कि उनके बीच मुकदमा चल रहा है और उन्होंने (बूटी और बीरबल) ने एक कमीशन जारी करने के लिए प्रार्थना की है। लेकिन दूसरा पक्ष कमीशन जारी

करने में बाधा डाल रहा है । अगर अदालत ने जमींदरो फसल दी तो उनको फसल मिल जाएगी। सूबेदार बनी सिंह और श्री रघुबीर सिंह ने कहा कि उन्हें आयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वे आयोग के प्रश्न को वहीं सुलझा लेंगे। तब बूटी और बीरबल ने कहा कि हालांकि जमींदरो ने फसल काट ली है, वे इसे उठा लेंगे क्योंकि फसल पर उनका कब्जा है। जब बूटी और बीरबल फसल लेने के लिए झुके, तो आरोपी और उनके साथियों ने अचानक बूटी और बीरबल पर बंदूक, पिस्तौल, लाठी और भाले से हमला कर दिया। आरोपियों ने मुख्तार, दलीप, राम दयाल, ज़हरिया, परशादी, छिद्दा पुत्र सम्मान, छिद्दा पुत्र नरोत्तम, होरम, इतवारी, जगराम, नत्थू, ग्यासा, भोदनदी , श्रीमती लाडो और हरसुख पर भी हमला किया। आठ लोगों की मौत हो गई और ग्यारह घायल हो गए। अभियोजन पक्ष का हर गवाह इस कहानी को दोहराता है। जज पहले ही कह चुके हैं कि यह बूटी और बीरबल की पार्टी थी, जो सरसों काट रही थी। यह उनकी एक सम्मिलित कार्रवाई थी। इसके अलावा अगर बूटी और बीरबल की पार्टी सरसों काटने जाती तो उस वक्त आरोपी मैदान पर मौजूद नहीं हो सकते थे। श्री सैयद, एसओ का कहना है कि पूरे प्लॉट संख्या 227 और 228 के सरसों काट दिए गए थे । अगर जमींदार उस समय मौके पर मौजूद होते तो बीरबल, बूटी और उनके आदमियों के सरसों काटने का प्रयास करते ही ज़मींदारो ने उसी समय फायरिंग का सहारा लिया होता। अभियोजन पक्ष के मामले के इस हिस्से में कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

साइट प्लान के अनुसार, दोनों प्लॉट संख्या 227 और 228 का एक ही क्षेत्र बना है। इस खेत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में श्री चवल सिंह के भूखंड है और उनके उत्तर में मार्ग है। हरसुख के अनुसार विवादित भूखंड के दक्षिण में मार्पिट हुई । साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, जैसे ही बूटी और बीरबल ने फसल लेने के लिए आगे बढ़े, आरोपियों ने फायरिंग का सहारा लिया। इसलिए होना यह चाहिए कि इस सरसों के खेत में ही लाशें पड़ी मिली होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है. श्री सैयद एवं श्री महिपाल सिंह का कहना है कि श्री चवल सिंह के एक अन्य भूखंड में जो विवादित भूखंड के दक्षिण-पूर्व में है, शव एवं घायल व्यक्ति पड़े मिले । इस खेत में उस समय गन्ने के ठूंठ खड़े थे। अभियोजन पक्ष के कुछ चश्मदीदों ने कहा कि जब आरोपियों ने गोली चलाई तो बीरबल और बूटी पार्टी के लोगों ने हाथ जोड़कर आरोपियों से मारपीट न करने की गुहार लगाई और बीरबल की पार्टी का आदमी हर समय पीछे हटते गए । यही कारण है कि वे गन्ने के खेत में नहीं बल्कि विवादित क्षेत्र में गिरे।

मैं (जज) इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हूं।हरसुख का कहना है कि 27 मार्च 1947 को सिर्फ सरसों काटी गई थी और अगर काश्तकार दल ने सरसों की फसल काट ली होती तो उसमें एक-दो मजदूर ही लगते। लकिन वहां कम से कम 24 लोग सरसों काटने क्यों गए? बूटी और बीरबल को छोड़कर जो लोग सरसों काटने गए थे, उनमें से किसी को भी इस सरसों से कोई सरोकार नहीं था। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि इन व्यक्तियों में से कोई भी फायरिंग का सहारा लेने के बाद भी भागा नहीं था और आठ लोगों के मारे जाने और ग्यारह घायल होने के बाद ही वे वहां से गए । इसमें कोई संदेह नहीं है कि बूटी और बीरबल के साथियों का इरादा आपराधिक बल के इस्तेमाल से सरसों को काटने और हटाने का था।

हरसुख का कहना है कि जिन लोगों को गोलियां लगीं वे वहीं गिर पड़े। उसने जमींदारों के सामने हाथ जोड़ना जारी रखा। करीब छह मिनट तक गोलियां चलती रहीं और गोलियां चलने के बाद भी हरसुख हाथ जोड़ रहा था. वह वहां से भागा नहीं। इस दौरान वह चौधरी साहब से हाथ जोड़कर विनती कर रहे था कि उन्हें और उनकी पार्टी के लोगों को न पीटें। उसने अपनी पार्टी के किसी आदमी को वहाँ से भागते नहीं देखा। निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि उसके पक्ष के 25 से 30 लोग इसलिए नहीं भागे क्योंकि वे आरोपी से लड़ रहे थे और फसल छीन लेना चाहते थे. किरायदार मानते हैं कि अगर उनकी पार्टी ने अनुमति दी होती, तो जमींदारों को फसल लेने के लिए कोई मारपीट नहीं होती क्योंकि वे और कुछ नहीं चाहते थे।

होरम PW ने इस घटना का लगभग उसी तरह वर्णन किया जिस तरह से हरसुख ने इसका वर्णन किया था। उसने कहा कि उसका जमींदारों से कोई झगड़ा नहीं था और उसे बीरबल के खेत से कोई सरोकार नहीं था। फिर हैरानी होती है कि वह बीरबल के साथ सरसों निकालने क्यों गए। उनका कहना है कि जब उन्होंने मैदान में पहुंचकर बात सुनी तो पता चला कि लड़ाई होने वाली है. समय बहुत कम होने के कारण वह वहाँ से भागा नहीं सका । वह पीछे भी नहीं हटा क्योंकि उसने हाथ जोड़कर उनसे लड़ाई न करने को कहा। हालांकि, ठाकुरों ने उनकी मिन्नतों का कोई जवाब नहीं दिया। श्री इंद्रपाल सिंह ने उसे लाठी से मारा और वह नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। मजिस्ट्रेट के सामने उसने कहा था कि उसे वो सब बातें याद हैं जो उसने घटना के तीन महीने बाद उनके सामने कही थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने उस दिन पहली बार उनके सामने जो कुछ भी बयान दिया था वह उन्होंने किसी को नहीं बताया । उसने पुलिस के सामने कहा कि बूटी अपने खेत में उन लोगों को लेकर गए जो मारे गए या घायल हुए थे। वह सरसों को इकट्ठा करने के लिए ले गए थे। ठाकुर जमींदार वहाँ पहुँचे और काश्तकारों से ऐसा न करने को कहा। जब किराएदारों ने उनकी बात नहीं मानी तो सूबेदार बनी सिंह श्री अमर सिंह और श्री रघुबीर सिंह ने उनसे कहा कि वे उन्हें गोली मार देंगे। तब बूटी, बीरबल, मुख्तार ने उन पर लाठियों से हमला किया और श्री इंद्रपाल ने उन पर लाठियां बरसाईं और वह गिर पड़े और बेहोश हो गए और उसके बाद वह नहीं जानते की क्या हुआ।

दलीप होरम का सगा भाई है। उसे नहीं पता कि उसने जमींदारों के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया है या नहीं। लकिन exhibit नंबर 26 से पता चलता है कि दलीप और होरम ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उसने अपनी आँखों से यह भी देखा कि भाले का प्रयोग किया जा रहा था। उसने यह नहीं देखा कि कौन किसके भाले से घायल हुआ है। बाद में, उसे पता चला कि छिद्दा पुत्र सम्मन को भाले के घाव मिले हैं। हालाँकि, उसके चोट की रिपोर्ट यह नहीं दिखाती है कि उसे भाले का कोई घाव मिला है। फिर वह कहता है कि जैसे ही वह खेतों में पहुंचा, उसे लाठी का झटका लगा, गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यदि ऐसा है, तो वह घटना को बिल्कुल नहीं देख सकता था। फिर वह कहता है कि तीन-चार दिन बाद उसे होश आया। लेकिन दरोगा ने 27 मार्च 1947 को अपना बयान दर्ज किया। श्री सैयद कहते हैं कि जिन लोगों का बयान उन्होंने 27 मार्च को दर्ज किया, वे अपने होश में थे। केवल तीन व्यक्ति ऐसे थे जिनका बयान वो दर्ज नहीं कर् सके। होराम उनमे नहीं है

छिद्दा पुत्र सम्मान ने भी जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उनका भी यह कहना है कि भाले का इस्तेमाल ज़मींदारो ने किया । जीवन ने उसे भाले से तीन वार किये । वह नहीं जानता कि और किसने दूसरों को भाले का घाव दिया। लेकिन जैसा कि न्यायाधीश ने देखा आठ मारे गए और ग्यारह घायलों में से किसी के शरीर पर भले की चोट नहीं थी और न ही कोई पंचर घाव मिला। इसलिए इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। छिदा ने आगे कहा कि उन्होंने और आमका के अन्य किरायेदारों ने गुजरपुर में जमीन ली थी क्योंकि उनके पास आमका में जमीन नहीं थी। तहसीलदार ने उसका मृत्युकालिक बयान भी दर्ज किया। इसमें उनका कहना है कि श्री चवल सिंह ने उन्हें भाले के तीन वार दिए। अन्य प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि श्री चवल सिंह उस दिन गांव में मौजूद नहीं थे।

चेतू एक अन्य साक्षी है। उनका कहना है कि श्री चवल सिंह मौजूद थे। फिर वह कहता है कि यह पहली बार था जब मजिस्ट्रेट के सामने उसकी जांच की गई कि उसे पता चला कि उसके भाई ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। वह और उसका भाई एक साथ रहते थे और संयुक्त रूप से जमीन पर खेती करते थे और फिर भी उनके भाई ने उन्हें यह नहीं बताया कि उन्होंने राजस्व मुकदमा दायर किया है। उन्होंने भाले का इस्तेमाल करते हुए भी देखा। तीन आरोपियों ने भाले का इस्तेमाल किया लेकिन वह नहीं जानते कि उन्होंने दस बार भाले का इस्तेमाल किया या सौ बार। उनका कहना है कि छिद्दा भाले से घायल हो गया था। माननीय न्यायाधीश ने पहले ही कहा है कि यह तथ्य नहीं है। उसके किसी भी साथी ने उसे यह नहीं बताया कि उसे भाले का कोई घाव है। वह मारपीट के दृश्य से भागा नहीं था, हालांकि वह उस जगह से 2 या 3 कदम की दूरी पर था जहां फायरिंग हो रही थी।

चेतू ने पुलिस के सामने बताया कि घटना की सुबह वह अन्य साथियों के साथ बूटी के खेत में सरसों काट रहा था. उसी समय आठों आरोपी वहां गए और बीरबल और उसके साथियों को सरसों न काटने को कहा। लेकिन उन्होंने इस अनुरोध का पालन नहीं किया और बीरबल और उसके साथियों ने ठाकुरों पर हमला किया। उन्होंने किसी भी आरोपी को पिटते हुआ नहीं देखा, हालांकि उनमें से कई को चोटें आई हैं।

ग्यासा PW अगला महत्वपूर्ण गवाह है। वह मजदूरी के लिए कैलाश पुर जा रहा था और उसने देखा कि बीरबल के खेत में लोग इकट्ठे हैं। वह वहां गया। उसने भी अन्य गवाहों की तरह ही घटना का वर्णन किया। उनका कहना है कि जीवन ने उन्हें भाला मारा और श्री चवल सिंह ने उन्हें लाठी से मारा। श्री चवल सिंह वहाँ उपस्थित नहीं थे और इस साक्षी को भाले का कोई घाव नहीं मिला। अजीब बात यह है कि इस गवाह ने तब तक यह नहीं सुना था जब तक कि न्यायाधीश के समक्ष उसकी जांच नहीं की गई थी कि जमींदारों के खिलाफ 30 मुकदमे दायर किए गए थे और तब भी जब उन्होंने उन्हें उपज में हिस्सा देना बंद कर दिया था। वह अपने भूखंडों की संख्या नहीं जानता । न ही वह उनकी सीमाएँ या क्षेत्र बता पाया क्योंकि वह इन बातों को नहीं जानता। वह स्वीकार करता है कि उसने श्री लदैती से जमीन ली है, लेकिन यह नहीं जानता कि उसके साथ और किसने जमीन ली है। श्रीमती लताईती ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था और एक लिखित बयान भी दायर किया था। लेकिन वह नहीं जानता कि उस मामले में उनके वकील कौन थे। संयोग से, जब उसकी जांच की जा रही थी, उसके वकील अदालत कक्ष में खड़े थे। गवाह ने उन्हें देखने के बाद कहा कि वह नहीं जानते कि वे उसके वकील थे या नहीं। फिर उनका कहना है कि जिस समय बंदूकें

चलाई जा रही थीं, तीन किरायेदारों ने भी जमींदारों के खिलाफ अपनी लाठियों का इस्तेमाल किया। उस समय दोनों तरफ के पुरुषों के बीच 1 या 2 कदम की दूरी होती थी।

जगराम PW एक और गवाह है। उन्होंने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि बीरबल और बूटी फसल काटने गए थे और उन पर हमला किया गया। वह भागा नहीं क्योंकि उसके पास बचने का कोई अवसर नहीं था। उनका कहना है कि जमींदार दल के लोग विवादित भूखंडों से सटे खेत में और उनके दक्षिण-पूर्व में गन्ने के खेत में खड़े थे । गन्ना काटा गया था और ठूंठ खड़े थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बीरबल और उसके साथी गेहूं के खेत में थे जब उन पर हमला किया गया और वह घायल हो गए। लेकिन मारे गए सभी लोगों के शव गन्ने के खेत में मिले थे. अगर जमींदारों ने बीरबल और बूटी और उसके साथियों को गेहू के खेत में मारा होता तो उनकी लाशें गेहूँ के खेत में मिलती । पर ये स्थिति नहीं है। गवाह मानते हैं कि बीरबल और बूटी की पार्टी के 20 या 22 लोग घटना के समय उस खेत से बहार चले गए थे जिसमे बीरबल और बूटी थे। वह आगे स्वीकार करता है कि जो आठ लोग मारे गए थे और जो ग्यारह घायल हुए थे, वे ज़मींदारों से दो से चार कदम की दूरी पर थे, जब उन्हें चोट लगी थी, इससे पता चलता है कि काश्तकार पार्टी का आदमी जमींदारों के पास गया था। इस गवाह का कहना है कि काश्तकार जमींदारों से विनती कर रहे थे और जमींदार गेहूँ के खेत से हटकर गन्ने के खेत में जा रहे थे। जज ने फिर वही सवाल उससे किया और फिर उसने कहा कि काश्तकार ज़मींदारों से बिनती करते हुए पीछे हट रहे थे और ज़मींदार भी उनके पीछे वहां पहुँच गए। लेकिन यह तथ्य नहीं है कि इस साक्षी के अनुसार ठाकुरों का मुख पूर्व की ओर तथा काश्तकारों का मुख दक्षिण की ओर था। यदि काश्तकार दक्षिण की ओर मुख कर रहे थे और पीछे हट रहे थे तो वे गेहूं के खेत के उत्तर की ओर चले गए होते और ठाकुर गन्ने के खेत में चले गए होंगे। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती और तीन पेस की दूरी से बंदूकें फायर नहीं हो सकती थीं

छिद्दा पुत्र नरोत्तम PW ने भी अपनी घटना का वर्णन उसी तरह किया है जैसा दूसरों ने वर्णित किया है। वह यह भी नहीं जानता कि जमींदारों के खिलाफ 30 राजस्व मुकदमे दायर किए गए हैं, हालांकि उनके पिता नरोत्तम उन सभी मुकदमों में पैरोकार हैं। अपने जिरह में, वह कहता है कि उसके पिता ने उस क्षेत्र के संबंध में एक मुकदमा दायर किया था जहां वह घटना के दिन जा रहा था। उन्होंने यह भी देखा कि जीवन ने ग्यासा के शरीर में भाला मारा और श्री इंद्रजीत सिंह और श्री रघुबीर सिंह ने मृत व्यक्तियों के शरीर में भाले फेंक दिए । लेकिन पीएमई और चोट की रिपोर्ट से पता चलता है कि एक भी घाव या भाले से पंचर घाव नहीं था। उनका यह भी कहना है कि किराएदार का कोई भी पक्ष इसलिए नहीं भागा क्योंकि किसी को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला. वह मानते हैं कि जितने लोग मारे गए वे सभी श्री चवल सिंह के खेत में बूटी के खेत से 15 से 20 कदम की दूरी पर पड़े हुए थे। उनका कहना है कि हाथ जोड़कर मिन्नत करने के बाद भी श्री चवल सिंह के खेत में पहुंचने तक पीछे हट गए। अन्य सभी शेष व्यक्ति जो मारे गए थे और सभी ग्यारह व्यक्ति जो घायल हो गए थे, ने भी ऐसा ही किया। उनका यह भी कहना है कि जब जमींदार की पार्टी श्री चवल सिंह के खेत में खड़ी थी तो काश्तकार पक्ष ने उन पर दबाव बनाया और फिर लाठीचार्ज किया और उस समय बंदूकें भी चलाई गईं. इससे पता चलता है कि किराएदार की पार्टी के लोग हमलावर थे और आरोपियों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं.

कमिटिंग मजिस्ट्रेट से पहले, नाथू PW ने कहा कि उसने  शोर सुना और सोचा कि ठाकुर और बीरबल / बूटी के बीच लड़ाई हो रही है। फिर वह लाठी लेकर अपने घर से निकला। यदि ऐसा है, तो वह बहुत देर से मारपीट की जगह पर पहुंचा  और बीरबल/बूटी और ठाकुरों के बीच की बात नहीं सुन सकता था। लकिन उसने बाटे सुनी।  फिर वह यह भी कहता है कि छिद्दा और ग्यासा  को भाले के घाव मिले हैं। ये गलत है।

घटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे या साढ़े आठ बजे मंगल PW  कैलाशपुर जा रहा था। उसने देखा कि लोग बूटी के खेत में इकट्ठे हो गए हैं। वह वहां गया। उनके अनुसार, श्री इंद्रजीत सिंह और श्री रघुबीर सिंह के पास भाले थे। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे कोई चोट नहीं आई, हालांकि वह पांच या छह पेस की दूरी पर था। आठ लोगों के मारे जाने और 11 के घायल होने के बाद ही वह वहां से भागा। वह फसल काटने के लिए कैलाशपुर जा रहा था लेकिन उसकी कोई दारंती नहीं  थी। वह जमींदारों से हाथ जोड़कर विनती भी की । पहली गोली लगने के बाद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, लेकिन सभी उन्नीस व्यक्तियों के नीचे गिरने के बाद ही उन्होंने इसे छोड़ा। घटना के बाद वह कैलाशपुर गया । उसका भाई ज़हरिया मारा गया था, लेकिन उसने थाने में रिपोर्ट नहीं की, जो आमका से केवल दो मील की दूरी पर है। कोई रिपोर्ट नहीं की गई क्योंकि वे जानते थे कि वे हमलावर थे। इस चश्मदीद का कहना है कि सभी ग्यारह घायल बेहोश थे। हालांकि दरोगा ने मौके पर ही ग्यारह घायलों में से आठ का बयान दर्ज किया था ।

खीमा PW  घायल नहीं हुआ था। उनका कहना है कि श्री रघुबीर सिंह और श्री इंद्रजीत सिंह भाले से लैस थे। उन्होंने श्री इंद्रजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर किया है लेकिन राजस्व मुकदमा दायर करने का कारण नहीं जानते हैं। वह सशस्त्र जमींदारों से दो कदम की दूरी पर खड़ा था लेकिन घायल नहीं हुआ था। वह बदले का सगा भाई है जिसे मार दिया गया लेकिन उसने कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। वह तब तक वहीं रहा जब तक आठ मारे नहीं गए और ग्यारह घायल हो गए और जब पहली गोली चली तो वह वहां से नहीं भागा। पुलिस के सामने उसने कहा कि घटना वाले दिन बूटी उसे और अन्य लोगों को सरसों की फसल निकालने के लिए खेत में ले गया था , जिसे जमींदारों ने काटा था। जब उन्होंने इसे हटाना शुरू किया तो ठाकुर वहां पहुंच गए। सूबेदार बनी सिंह और अन्य ने ज़मींदारो ने  काश्तकारों से कहा कि वे फसल न निकालें और तब बूटी ने कहा कि खेत उसका है और उसने बोया और खेती की थी। इसलिए जमींदार उसे काट नहीं सकते थे। तब सूबेदार बनी सिंह ने किराएदारों को भाग जाने को कहा और श्री अमर सिंह ने हवा में फायरिंग कर दी। इसके बाद लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि श्री चवल सिंह उपस्थित नहीं थे।

रामबल PW  मारपीट  शुरू होने से पहले वहां  पहुंचे और अंत तक वहीं रहे। बूटी और बीरबल उसके असली चाचा के बेटे हैं। वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं गया हालाँकि  उसके दो भाई और उसके चाचा मुख्तार की हत्या कर दी गई थी और उसे भी आशंका थी कि उसकी भी हत्या हो सकती है। फिर उससे  एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया गया कि मारपीट  के दौरान वे वहां से क्यों नहीं भागे और अगर वे वहीं रहे तो उन्होंने अपने भाई की मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। उसने जवाब दिया कि उसे लड़ाई का कोई ज्ञान नहीं था। इससे पता चलता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। फिर वह कहता है कि नहीं उसे  पता कि पुलिस अधीक्षक घटना वाले दिन उसके गांव गए थे  क्योंकि उस दिन वह गांव में नहीं

था और दूसरे गांव में अपने रिश्तेदार के यहां गया था। दरोगा से पहले उसने कहा था कि उसके भाई बूटी और बीरबल उसे और अन्य किरायेदारों को उसका गेहूं और सरसों काटने के लिए ले गए थे। उनके अनुसार श्री इंद्रजीत सिंह, श्री रघुबीर सिंह और जीवन के पास भाले थे। ये गलत है।

इतवारी आखिरी गवाह है। घटना से ठीक पहले वह अपने खेत की ओर जा रहा था। हालांकि, वह नहीं जानता था कि यह वही खेत है जिसके संबंध में राजस्व मुकदमा दायर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि आमका में उनके पास आठ खेत हैं और उन सभी के जमींदार श्री अमर सिंह हैं। उसने स्वीकार किया कि उसने इन सभी आठ खेतों के संबंध में मुकदमा दायर किया है। पुलिस के सामने उसने बताया कि वह और 19 अन्य लोग बूटी के खेत में सरसों काटने गए थे। सूबेदार बनी सिंह और अन्य जमींदारों ने उन्हें इसे न काटने के लिए कहा और भाग जाने को कहा लेकिन बूटी, बीरबल और दलीप ने उनसे कहा कि वे मर जायेंगे पर जायेंगे नहीं। इस चश्मदीद के मुताबिक, अंधाधुंध लड़ाई हुई थी. उनका यह भी कहना है कि श्री इंद्रजीत सिंह, श्री रघुबीर सिंह और जीवन के पास भाले थे।

छज्जन PW का कहना है कि जमींदारों द्वारा काश्तकारों से फसल न काटने के लिए कहने पर फसल उन्होंने फसल तो नहीं काटी लेकिन काश्तकार लड़ने को तैयार हो गए । उन्हें नहीं पता कि किस पार्टी ने पहले हमला किया और लड़ाई शुरू की। लेकिन अन्य जमींदारों के वहां पहुंचने से पहले ही श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को चोट लग गई।

वहीं, पहले आठ आरोपितों की थ्योरी यह है कि घटना वाले दिन करीब साढ़े आठ बजे श्री इंद्रजीत सिंह अपने खेत में थे, जो विवादित भूखंड संख्या 227 और 228 के पूर्व में है। जब उनका ध्यान उन भूखंडों की ओर आकर्षित हुआ, जो श्री चवल सिंह के थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ रियाया के लोग वहां खड़े हैं और सरसों काट रहे हैं। वह उनके पास गए और श्री इंद्रपाल सिंह अपने खेत से उनके पीछे चले गए और रियाया लोगों से पूछा कि वे इसके मालिक की अनुपस्थिति में फसल क्यों काट रहे हैं। बीरबल ने उनको गाली दी और कहा कि वे उस दिन उस खेत की फसल काटेंगे और जनता जमीन की मालिक बन गई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वे जमींदारों को नष्ट कर देंगे। श्री इंद्रजीत सिंह ने उन्हें गाली न देने के लिए कहा। इसके बाद बीरबल ने गाली दी और वह श्री इंद्रजीत सिंह की ओर बढ़ा । उन्होंने श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह ने भी खुद को बचाने के लिए लाठियों इस्तेमाल किया। इसी बीच श्री उदय प्रताप वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी लाठी का प्रयोग किया। लेकिन उनकी लाठी उनके हाथ से गिर पड़ी और वे गाँव की ओर भागे। आरोपी के मुताबिक यह घटना का पहला हिस्सा है।

फिर, सर्वश्री रघुबीर सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, बनी सिंह और अमर सिंह वहाँ पहुँचे और ऊँचे स्वर में पूछा कि रियाया श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को क्यों पीट रही है और वे सरसों क्यों काट रहे हैं। इन आरोपियों को देखकर लगभग 35 से 40 की संख्या में बूटी, बीरबल और अन्य लोग उनकी ओर बढ़े। सूबेदार बनी सिंह और अन्य आरोपियों ने उन्हें जाने के लिए कहा। लेकिन रियाया पार्टी ने उन पर हमला कर दिया। तब सूबेदार बनी सिंह और श्री अमर सिंह ने रियाया को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं लेकिन रियाया के लोग हमला करते रहे। हरसुख आगे बढ़ा और श्री अमर सिंह पर लाठी से वार

किया और उनकी बंदूक छीन ली। तभी रघुबीर सिंह ने हरसुख पर गोली चला दी। तब अमर सिंह ने हरसुख से अपनी बंदूक बरामद की लेकिन फिर भी रियाया पार्टी ने आरोपितों पर लाठियों से हमला करना जारी रखा। सूबेदार बनी सिंह, श्री अमर सिंह और श्री रघुबीर सिंह ने खुद को और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए गोलियां चलाईं। ये रियाया के लोग तब तक हमला करते रहते हैं जब तक वे नीचे गिर नहीं गए। आरोपियों में से किसी के पास भाला नहीं था। आरोपी गन्ना के खेत में खड़े थे, जो प्लॉट संख्या 227 और 228 के दक्षिण पूर्व में है। यह घटना का दूसरा भाग है।

आरोपियों ने पन्ना लाल और बद्री प्रसाद को अपने बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश किया है। ये दोनों गवाह आमका से कुछ दूरि पर स्थित गांव धूम के रहने वाले हैं। ये दोनों गवाह इस बात का समर्थन करते हैं कि ज़मींदारों ने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई । पन्ना लाल ने रु. 100/- अपने हिस्से के भू-राजस्व के रूप में और रु. 325/- एक लंबरदार की हैसियत से भू-राजस्व के रूप में दिए। वह खाद्यान्न के लिए एक कमीशन एजेंट है और दादरी में इस व्यवसाय को करता है। उनके खिलाफ एक ही बात है कि उनके दूर के चचेरे भाई हरि दत्त, श्री रघुबीर सिंह के मुख्तार-आम हैं। यह कहा गया कि यह गवाह श्री रघुबीर सिंह का किरायेदार है। लकिन गवाह ने इस बात से साफ इंकार किया। मेरे पास इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। बद्री प्रसाद के खिलाफ भी एक ही बात है कि धूम के चौ. पंचम सिंह ने उसे अपनी कुछ जमीन दी थी और पंचम सिंह आरोपी का दूर का रिश्तेदार है।

छज्जन, चौकीदार यह भी कहना है कि श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को किसी अन्य जमींदार की पिटाई से पहले पीटा गया था। न्यायाधीश को लगता है कि यह तथ्य इस मामले की परिस्थितियों से भी पैदा हुआ है। हरसुख स्वीकार करते हैं कि प्लॉट संख्या 227 और 228 के पूर्व में श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह के खेत हैं। इसलिए संभावना यह है कि जब बूटी और उनकी पार्टी सरसों की फसल काटने गए तो श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह का ध्यान सबसे पहले उस खेत की ओर गया और वे वहां पहुंचने वाले आरोपियों में सबसे पहले थे। श्री इंद्रजीत सिंह को कम से कम 9 चोटें आईं और श्री इंद्रपाल सिंह को 11 चोटें आईं। अन्य आरोपियों को एक-दो चोटें आई हैं। श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह की चोटों को स्वयं नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उन्हें एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया था। मैं (न्यायाधीश) यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यदि सूबेदार बनी सिंह, श्री अमर सिंह और श्री रघुबीर सिंह अपनी रिवाल्वर और बंदूकों के साथ उस समय वहां होते, तो वे रियाया पार्टी के लोगों को श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को इतनी चोट पहुँचाने देते। इसके अलावा, कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने यह पहली बार नहीं था कि आरोपियों ने मामले में अपना पक्ष रखा। 29 मार्च 1947 को श्री राजेन्द्र सिंह ने थाना दादरी में जाकर लिखित में रिपोर्ट दी। उसने पुलिस को बन्दूक भी दी । यह रिपोर्ट घटना के सेल्फ डिफेन्स वर्शन का समर्थन करती है । इसका मतलब यह है कि मेरे सामने पेश किए गए बचाव मामला आफ्टर थॉट का नहीं है।

जहां तक घटना के दूसरे भाग का संबंध है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा कहा गया है, मुझे लगता है कि यह न केवल बचाव पक्ष के गवाहों द्वारा बल्कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की जिरह से भी साबित हुआ है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि रियाया की एक संगठित कार्रवाई थी। अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह

जमींदार अभियुक्तों को लगी चोटों की व्याख्या नहीं कर सका। इसका मतलब है कि रियाया ने भी लाठियों का इस्तेमाल किया और आरोपी को घायल कीया । अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि उन्होंने आत्मरक्षा में उन चोटों खाया ।

पिछले दिन, रियाया के वकीलों ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने इसे बोया है तो वे फसल काट सकते हैं। 27 मार्च की सुबह कम से कम 24 और संभवत: अधिक आदमियों ने जिनका प्लॉट संख्या 227 और 228 से कोई सरोकार नहीं था, सरसों की फसल काटने के लिए गए। ये खेत श्री चवल सिंह के खुदकाश्त थे जो उस दिन गांव में मौजूद नहीं थे। कानून की नजर में फसल श्री चवल सिंह की थी। बूटी, बीरबल और उनके साथियों को फसल काटने का कोई अधिकार नहीं था। आरोपियों की ओर से पहले तीन व्यक्ति श्री इंद्रजीत सिंह, श्री इंद्रपाल सिंह और श्री उदय प्रताप सिंह थे और बाद में, श्री रघुबीर सिंह, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, अमर सिंह और सूबेदार बनी सिंह वहां पहुंचे। अभियोजन पक्ष का यह आरोप कि आरोपी की तरफ से करीब 35 से 40 लोग थे, झूठा है। अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह आरोपी के अलावा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सका। वे नहीं जानते कि वे लोग किस गांव के थे। इस प्रकार, रियाया की संख्या जमींदार अभियुक्तों की संख्या से कम से कम तीन गुना थी। अभियोजन पक्ष के गवाह खुद पुलिस के सामने अपने बयान में स्वीकार करते हैं कि वे सरसों निकालने के लिए बूटी के खेत में गए थे। उनमें से कुछ ने कहा था कि बूटी ने कहा था कि वह मर जायेंगे पर भी सरसों ले लेंगे। इससे पता चलता है कि वे आपराधिक बल के प्रयोग और दिखावे के द्वारा सरसों को काटना और हटाना चाहते थे। इन परिस्थितियों में आरोपी 1 से 8 तक को संपत्ति की आत्मरक्षा का अधिकार था। यह लगभग तय है कि यह रियाया पार्टी थी, जिसने सबसे पहले जमींदारों पर हमला किया था। कुछ PW ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि पहले तो जमींदारों ने हवा में फायरिंग की थी। हालांकि फिर भी रियाया लोग वहां से नहीं हटे। बचाव पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि इस स्तर पर रियाया दल चिल्लाया कि जमींदारों के पास कोई गोला-बारूद नहीं था और उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और तभी जमींदारों ने अपनी बंदूकें और पिस्तौल निकाल दी। अभियोजन पक्ष के गवाहों का कहना है कि वे जमींदारों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे और पीछे हट रहे थे। लेकिन इनमें से एक गवाह ने पुलिस के सामने कहा था कि रियाया के लोगों ने ही जमींदारों पर दबाव बनाया था। सभी लाशें गन्ने के खेत में मिलीं न कि गेहूं के खेत में। रियाया लोग गेहूँ के खेत में थे। ज़मींदार गन्ने के खेतों में थे। गन्ने के खेत में लाशें कैसे निकलीं। यह तभी हो सकता था जब रियाया आरोपियों के पास जाकर उन पर हमला कर दे। अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों ने स्वीकार किया कि वह लड़ाई के अंत तक वहीं रहे और गोलियां चलने के बाद भी भागे नहीं। यह रियाया के अंतिम दम तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। साथ ही अभियोजन पक्ष के लगभग सभी गवाहों का कहना है कि दोनों पक्षों के लोगों के बीच की दूरी 2 से 4 कदम की थी. इन परिस्थितियों में, संदेह नहीं है कि पहले आठ अभियुक्तों को संपत्ति के साथ-साथ उनके व्यक्तियों की निजी रक्षा का अधिकार था। मामले की परिस्थितियों और सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सत्र न्यायाधीश ने सभी 12 व्यक्तियों को बरी कर दिया।

# आपराधिक अपील संख्या 765 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 31 मई 1950

सत्र न्यायालय, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी अभियुक्तों को बरी करने के फैसले के खिलाफ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 417 के तहत अपील दायर की गई। उन पर आईपीसी की धारा 302/149, 207/149 और 148 के तहत आरोप लगाए गए थे। यह अपील माननीय न्यायाधीश श्री बृजमोहन लाल और न्यायमूर्ति श्री पी.एन. सप्रू ने सुनी।

उत्तरदाता (रेस्पोंडेंट्स) संख्या 1 से 8 तक जाति से ठाकुर हैं और बुलंदशहर जिले के ग्राम आमका के निवासी हैं। वे उक्त गांव के जमींदार हैं। प्रतिवादी संख्या 11 और 12 भी इसी गांव के रहने वाले हैं और जमींदारों के सेवक हैं। उत्तरदाताओं की संख्या 9 और 10 जाति से गुर्जर हैं और ग्राम बधपुरा के रहने वाले हैं। दूसरे शब्दों में, वे न तो ठाकुर जाति के हैं और न ही उस गाँव के। प्रथम दृष्टया में देखा गया कि वह गाँव के ठाकुरो से पूरी तरह असंबद्ध हैं।

आमका गाँव के जमींदारों और रैयतों (रयोट्स) के बीच संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण थे। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम (1939 का अधिनियम XVII) की धारा 59 के तहत रैयतों ने कई भूखंडों के संबंध में अपनी स्थिति रखने के लिए कई मुकदमे दायर किए थे।

इन वादों का ज़मींदारों का बचाव यह था कि भूमि पर रैयतों का कोई अधिकार नहीं था; कि उन्होंने उक्त भूमि पर कभी खेती नहीं की थी; कि भूमि उनकी (ज़मींदार) खुदकाष्ट थी और उन्होंने उस पर खड़ी फसलें स्वम उगाई थीं। रैयत सामूहिक रूप से इकठे होकर मौके पर गए थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश के अनुसार घटना स्थल पर जमींदारों की संख्या आठ से अधिक नहीं थी। मेरे विचार से विद्वान न्यायाधीश की राय सही है, क्योंकि मामले की एक खास बात यह है कि किराएदारों द्वारा आठ अभियुक्तों को छोड़कर, जो मौके पर मौजूद हैं, किसी एक का नाम लेने या इंगित करने में असमर्थ थे ।

अभियोजन की कहानी यह है कि प्लॉट संख्या 227 और 228 के संबंध में डेढ़ साल से जमींदार और किरायेदारों के बीच मुकदमा चल रहा था; कि वास्तव में काश्तकारों द्वारा राजस्व न्यायालय में जमींदारों के विरुद्ध 30 मुक़दमे दायर किए गए थे; कि विवादित भूखंड बूटी और बीरबल की खेती में थे; कि जब जमींदारों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो 1 मार्च 1947 को काश्तकारों द्वारा राजस्व अदालत में इसे सुपरदारों को सौंपने और इसके बाजार मूल्य के मूल्यांकन के लिए एक आवेदन दिया गया था; कि घटना की तारीख तक उस आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था; कि 27 मार्च की सुबह उन्हें पता चला कि बूटी और बीरबल के खेतों में खड़ी फसल का एक हिस्सा 26 मार्च को पहले ही काट लिया गया था और शेष फसल को जमींदार द्वारा कटवाया जा रहा था। जमींदारों को फसल काटने से रोकने के लिए बूटी, बीरबल, रामदयाल , रामदियाल, ज़हरिया और हरसुख खेतों में गए; कि सुनहरी गूजर, जीवन गूजर और श्यामा तेली को बूटी और बीरबल के खेतों से सरसों काटते हुए देखा; वह सूबेदार बनी सिंह, श्री अमर सिंह, श्री इन्दरजीत सिंह , श्री इंदरपाल सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, श्री बिरजबीर सिंह, श्री नरेंद्र

सिंह , अपताप उर्फ़ बाप्सी और उसके भाई वहां खड़े थे और उनके निर्देश पर भाले और पिस्तौल के दम पर काटी जा रही है। बूटी और बीरबल ने सरसों काटने वाले लोगों से ऐसा करने से रोकने की अपील की और कहा कि जब तक अदालत में मामला लंबित है तबतक फसल न काटे। उस पर श्री बनी सिंह, श्री रघुबीर सिंह और श्री अमर सिंह ने कहा कि उन्हें उस आयोग की कोई परवाह नहीं है; कि वे और अधिक प्रतीक्षा किए बिना मामले को निपटाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे।

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 8 तक ने मामले में शामिल होने की बात स्वीकार की। उनके अनुसार प्लाट संख्या 227 व 228 श्री चवल सिंह के खुदकाष्ट थे, जो उस दिन गांव से अनुपस्थित थे। उनका यह भी कहना है कि श्री चवल सिंह ने फसल बोई थी और रैयत अवैध रूप से फसल काटने आए थे। श्री इंद्रजीत सिंह ने मालिक की अनुपस्थिति में फसल काटने पर आपत्ति जताई। इसके बाद रैयतों ने पहले गाली-गलौज की और फिर उन पर और श्री इंद्रपाल सिंह पर जो कि वहां मौजूद थे, हमला कर दिया। इन दोनों व्यक्तियों ने आत्मरक्षा में लाठियों का भी प्रयोग किया। इस बीच श्री उदय प्रताप सिंह वहां पहुंचे। उसने भी लाठीचार्ज किया लेकिन कुछ ही देर बाद वह घटना स्थल से भागने में सफल हो गया। वह घटना की खबर अपने दोस्तों तक ले गया और उसके बाद शेष पांच लोग और आ गए जिनके खिलाफ घटना स्थल पर अपील प्रस्तुत की गई। उन्होंने पहले रैयतों के साथ विरोध किया, लेकिन रियाया ने उन पर लाठियों से हमला किया। कहा जाता है कि श्री अमर सिंह और सूबेदार बनी सिंह ने दंगाईयो को डराने के लिए हवा में गोलियां चलाईं। रैयतों ने भागने के बजाय और ज़ोर से हमला किया और हरसुख ने श्री अमर सिंह के हाथों से बंदूक छीन ली। जमींदार पार्टी बंदूक वापस लेने में कामयाब रही। यह देखते हुए कि रैयत अधिक से अधिक आक्रामक होते जा रहे थे और जमींदार पार्टी बंदूकों से हमला जारी रखा। संक्षिप में ज़मींदारो का कहना था की उनको अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का अधिकार है।

यह समझने के लिए कि व्यक्ति और संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार ज़मींदारो को है या नहीं, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि फसल किसने बोई । यदि फसल वास्तव में रैयतों की संपत्ति थी, तो उसकी सुरक्षा के लिए मौके पर जाने की उनकी कार्रवाई किसी भी तरह से गैरकानूनी नहीं थी। दूसरी ओर, यदि श्री चवल सिंह फसल के मालिक थे, तो रैयतों को उस फसल पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं था। फसल के स्वामित्व का दावा करने वाले बूटी के पास प्लॉट संख्या 227 और 228 जिस पर विचाराधीन फसल थी, के संबंध में न तो पट्टा था और न ही कुबुलियत । उसके पास उस जमीन के किराए की कोई रसीद नहीं थी और ना ही उसके पास नहर के बकाए के भुगतान को साबित करने के लिए कोई रसीद थी। रामानंद पटवारी का कहना है कि 1353 फसली तक, श्री चवल सिंह इन दोनों भूखंडों का जमींदार और खुदकाश्त थे । 1352 फ़सली में भी, विचाराधीन भूखंडों को श्री चवल सिंह के खुदकाष्ट के रूप में दर्ज किया गया था। वह आगे कहते हैं कि 1354 फासली में भी, "मैंने बीरबल और बूटी या किसी अन्य किरायेदार को उस भूखंड के कब्जे में नहीं देखा, जिसका वह अब दावा करता है कि वह उसका है"।

वर्ष 1354 फ़सली 1 जुलाई 1946 से शुरू हुआ और 30 जून 1947 को समाप्त हो गया। 30 अक्टूबर 1946 को बूटी सहित इस गाँव के रैयतों ने बुलंदशहर के जिला मजिस्ट्रेट को एक याचिका को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जमींदार खेती के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं।इस याचिका की प्रतियां भारत

के महामहिम वायसराय, माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, कायदे आजम जिन्ना, माननीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत और कई अन्य व्यक्तियों को भेजी गईं। यह याचिका इस बात का प्रमाण है कि 30 अक्टूबर 1946 तक बूटी सहित रैयतों का उस जमीन पर कब्जा नहीं था जिस पर वे अब दावा कर रहे हैं। अगले दिन 31 अक्टूबर 1946 को उनके नाम खसरा के कमेंट कॉलम में दर्ज हो गए । अभियोजन पक्ष इस प्रविष्टि के आधार पर बूटी के कब्जे को साबित करने की मांग कर रहा है ।

जिन परिस्थितियों में ये प्रविष्टियां की गई थीं उन्हें रिकॉर्ड में लाया गया है। इन प्रविष्टियों के लिए बाबू राम कानूनगो जिम्मेदार थे। वह वह व्यक्ति था जिसके खिलाफ जमींदारों ने 1 अक्टूबर 1946 को जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की एक याचिका भेजी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उनसे अवैध रिश्वत की मांग की थी। जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार को जांच का जिम्मा सौंपा। उन्होंने मामले की जांच की। इस कानूनगो के खिलाफ आरोप सही पाए गए और जाँच अधिकारी ने उनके स्थानांतरण की सिफारिश की। जिलाधिकारी ने इस सिफारिश को मान लिया लेकिन इस सर्कल से उनका तबादला होने में कई महीने लग गए। कानूनगो स्वाभाविक रूप से उन जमींदारों से नाराज़ थे जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत भेजी थी।

कानूनगो ने जो किया वह यह था। उसने 31.10.1946 को इस गांव का दौरा किया और रैयतों से सवाल किया कि उनके कब्जे में कौन से भूखंड हैं। आरोप है कि बूटी समेत 23 काश्तकारों ने लिखित बयान देकर उस जमीन पर कब्जा करने का दावा किया जिस पर एक दिन पहले ही उन्होंने अपना कब्जा नहीं होने की बात स्वीकार की थी। इन बयानों के आधार पर कानूनगो ने पटवारी को खसरा के टिप्पणी कॉलम में इन किरायेदारों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। उसने जमींदारों से कुछ नहीं पूँछा । उन्होंने मामले को उच्चाधिकारियों के पास भी नहीं भेजा। वह अदालत में वह उन बयानों को पेश नहीं कर सका जो उसने किरायदारों के रिकॉर्ड किये थे । उनसे पूंछा गया कि क्या वह अपने कदम के समर्थन में किसी नियम या कानून का हवाला दे सकते हैं। वह किसी का हवाला नहीं दे सका । आमतौर पर नई प्रविष्टियाँ लाल स्याही से दर्ज की जाती हैं, लेकिन इस कानूनगो ने ये नई प्रविष्टियाँ काले रंग में कीं ताकि यह समझा जा सके कि कब्जा पहले से मौजूद था। माननीय न्यायधीश अनुसार कब्जे की ये प्रविष्टियां बेकार हैं और इस सुझाव का समर्थन नहीं करती हैं कि रैयतों के कब्जे में जमीन थी। इसके अलावा, छज्जन अपनी जिरह के दौरान बताता है कि ठाकुर चवल सिंह उन भूखंडों पर खेती कर रहे थे जिनके संबंध में विवाद था और बूटी और बीरबल ने कभी खेती नहीं की थी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायाधीश का मत था कि सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने सावधानीपूर्वक और सक्षम निर्णय में दर्ज निष्कर्ष पूरी तरह से सही है और विवाद में फसल श्री चवल सिंह द्वारा उठाई गई थी न कि बूटी द्वारा।

अगला सवाल यह है कि फसल काटने के लिए कौन गया था। क्या रैयत सरसों काटने गए थे या जमींदार फसल काटने गए थे ? इतवारी ने जांच के दौरान इस सवाल पर बहुत प्रकाश डाला है। जमींदारों की पार्टी का जिक्र करते हुए उसने कहा कि उन्होंने "हमें यह कहते हुए सरसों काटने से रोका कि 'भाग जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे'।" यह बताने के लिए पर्याप्त है कि रैयतों का उद्देश्य सरसों की फसल काटना था। अपने

बयान के दौरान इतवारी ने ऐसा बयान देने से इनकार किया, लेकिन उनके इनकार का कोई महत्व नहीं है। जांच अधिकारी ने सर्किल इंस्पेक्टर की उपस्थिति में बयान दर्ज किया और यह विश्वास करना मुश्किल है कि उसने गवाहों के बयानों का गलत रिकॉर्ड तैयार किया।

हरसुख ने जांच के दौरान यह नहीं बताया कि जमींदार पार्टी फसल काट रही थी। न ही उन्होंने अपने मृत्युपूर्व बयान में ऐसा कहा था। यह कहानी कि जमींदार फसल काट रहे थे, पहली बार कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश की गई।

राजस्व न्यायालय के समक्ष याचिका में बूटी ने शिकायत की थी कि जमींदारों ने खरीफ की फसल छीन ली है। इसलिए, उनकी ओर से खड़ी रबी फसल को सुरक्षित करने का प्रयास करना स्वाभाविक था, जिस पर उनकी आंख लगी हुयी थी। जांच के दौरान दिए गए हरसुख के बयान से यह भी साबित होता है कि घटना की सुबह रैयत बूटी की चौपाल पर जमा हो गए थे और फसल को हर कीमत पर हासिल करने का संकल्प लिया था। जब उनकी मानसिकता ऐसी थी, तो स्वाभाविक था कि उन्हें फसल काटने और कब्जा करने के लिए जाना था।

इस बात के सबूत हैं कि लड़ाई में दरांती का इस्तेमाल किया गया था। फसल काटने के दरांती का उपयोग आवश्यक था। लड़ाई में अगर ज़मींदारो ने दरांती का इस्तेमाल किया तो दरांती के घाव लगने स्वाभाविक है। लेकिन चिकित्सा साक्ष्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी रैयतों को कटा हुआ घाव नहीं आया था। श्री इन्द्रजीत सिंह को दरांती का घाव लगा था । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रैयतों की पार्टी द्वारा दरांती का इस्तेमाल किया गया था और यह कि यह रैयतों की पार्टी थी जो फसल काट रही थी। उनके पास दरांती का होना साबित करता है कि वे फसल काटने गए थे।

इस मामले की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि रियाया की तरफ की एक महिला श्रीमती लाडो को चोटें आईं। उनकी पार्टी में एक महिला की उपस्थिति केवल इस सिद्धांत के अनुरूप है कि वह और शायद अन्य महिलाएं फसल काटने गई थीं। अभियोजन पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि श्रीमती लाडो का वहां जाने का और क्या उद्देश्य था । इन सभी परिस्थितियों ने मुझे इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि रैयत फसल काटने गए थे और कुछ काट चुके थे। यह कहना सही नहीं है कि जमींदार फसल काट रहे थे। दूसरे शब्दों में, मैं इस बिंदु पर भी विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों की पुष्टि करता हूं।

घटना की बात करें तो यह पता लगाना होगा कि हमला कैसे शुरू हुआ और पहल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इस बिंदु पर सबसे स्पष्ट दस्तावेज एफआईआर ही है। छज्जन चौकीदार ने घटना की तारीख को सुबह 10.00 बजे थाना दादरी में प्राथमिकी दर्ज करायी. यह घटना स्थल से दो मील की दूरी पर है। रिपोर्ट का सार यह है कि रैयत सरसों को जबरन काटने गए थे; कि जमींदारों ने विरोध किया लेकिन रैयतों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन पर लाठियों से हमला किया। इसके बाद जमींदारों ने गोलियां चला दीं। यह दस्तावेज़, जो कि अभियोजन पक्ष के मामले की नींव है, बचाव पक्ष का समर्थन करता है। दो दिन बाद श्री राजेन्द्र सिंह ने भी थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें काफी हद तक निजी बचाव पक्ष की दलील भी शामिल है। अभियोजन पक्ष यह सुझाव देकर प्राथमिकी से छुटकारा पाना चाहता था कि छज्जन चौकीदार घटना

का चश्मदीद गवाह नहीं था और उसने अफवाहों की सूचना पर रिपोर्ट बनाई थी। छज्जन से अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह घटना के चश्मदीद गवाह थे और उन्होंने पूरी घटना को एक खेत यानी 40 या 50 कदम की दूरी पर खड़े देखा था। इस प्रकार, उन्होंने उस तर्क को ख़ारिज कर दिया जिसके द्वारा अभियोजन प्राथमिकी में निहित सबसे हानिकारक बयान से बाहर निकलना चाहता था। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने उसको होस्टाइल घोषित कर दिया और उससे जिरह करने की अनुमति मांगी । अभियोजन पक्ष ने बताया कि चौकीदार ने गलती की है। क्योंकि उसने बताया कि मृतकों में छिड्डा नाम के दो व्यक्ति शामिल थे। वास्तव में उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। इसके अलावा, उन्होंने प्राथमिकी में कहा था कि दो या चार लोगों को चोटें आई हैं। ये छोटी-छोटी गलतियाँ यह साबित नहीं करतीं कि छज्जन प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। उसने घटना को 40 से 50 कदम की दूरी से देखा था और अगर उसने मारे गए लोगों के नाम देने में गलती की तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उनके द्वारा बताए गए मृतकों की संख्या बिल्कुल सही थी। जहां तक घायल व्यक्ति का संबंध है, वह केवल उन्हें ही जान सकता था जो वास्तव में नीचे गिरे थे। वह उन लोगों के बारे में नहीं जान सका जो घायल होने के बाद भाग गए थे।छज्जन ने बदले के साथ गूजरपुर गांव में श्रीमती लदैती से जमीन का पट्टा लिया था। ऐसे में उनकी सहानुभूति मृतकों के साथ ही होनी चाहिए न कि जमींदारों के साथ। अत: माननीय न्यायाधीश का मत है कि छज्जन ने घटना का काफी हद तक सही लेखा-जोखा बनाया और वह सत्य का साक्षी है।

जांच के दौरान, होरम ने यह भी कहा कि रैयतों ने जमींदारों पर लाठियों से हमला किया। दूसरे शब्दों में, वह छज्जन चौकीदार का समर्थन करता है और बचाव पक्ष के दलीलों की पुष्टि करता है कि आक्रमण रैयतों की ओर से शुरू हुआ था।

अभियोजन पक्ष का सुझाव है कि जैसे ही कुछ रैयत सरसों की फसल को हटाने के लिए झुके, जमींदारों ने गोलियां चला दीं। इस तथ्य को इसलिए नहीं मन जा सकता कि सरसों के ढेर के पास कोई खून नहीं मिला । अगर ज़मींदारों ने अचानक से गोलियां चला दी होतीं तो वे तुरंत ही रैयतों पर बढ़त हासिल कर लेते और उन्हें चोट नहीं लगती, जो उन्हें आयी । मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि श्री इंद्रजीत सिंह को नौ चोटें आईं, जिनमें से एक गंभीर थी। श्री इंद्रपाल सिंह को 11, श्री राजेंद्र सिंह को 4, श्री अमर सिंह और श्री बनी सिंह प्रतियेक को दो चोटें आईं। इसके अतिरिक्त श्री रघुबीर सिंह और श्री देवेंद्र सिंह को एक एक चोट आयी। जिन परिस्थितियों में श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह को बड़ी संख्या में चोटें आईं, वे केवल बचाव पक्ष की कहानी के अनुरूप हैं कि शुरुआत में श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह अकेले थे और उन्हें भीड़ का सामना करना पड़ा था। चुकी वो केवल दो ही थे इसलिए किरायदारो का हाथ ऊपर था। जब श्री उदय प्रताप सिंह ने अन्य जमींदारों को सूचना दी, तब बाकि लोग वहां पहुंचे । हालाँकि ज़मींदारों आग्नेयास्त्रों से लैस थे तब भी उन्होंने तुरंत गोलियां चलना शुरू नहीं किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वे दूर से ही उन पर गोलियां चला सकते थे, लेकिन अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर, वे ऐसा करने से बचते रहे और ठीक उसी स्थान पर चले गए जहाँ रैयत खड़े थे। उन्होंने उनसे बहस की लेकिन जब रियाया ने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने पहले हवा में गोलियां चलायी । उनकी ओर से यह आचरण इस बात का एक और प्रमाण है कि वे गोली चलाने से हिचकते रहे थे और अंत में

इसका सहारा तभी लेना पड़ा  जब वह  ऐसा करने के लिए मजबूर हो गये ।  अभियोजन पक्ष के गवाहों ने हवा में फायरिंग के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हरसुख  ने जांच के दौरान कहा कि  "इस पर ठाकुरों ने हमें डराने के लिए खाली गोलियां चलाईं"।

अभियोजन पक्ष के गवाहों ने इस तथ्य से इनकार करते हुए खुद को गलत साबित किया है कि हवा में गोलियां चलाई गई थीं। एक अन्य बिंदु है  जिस पर अभियोजन पक्ष के गवाहों ने खुद को गलत साबित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमींदार पार्टी ने उनके खिलाफ भाले का इस्तेमाल किया। रियाया दल के किसी भी व्यक्ति पर भाले की चोट का एक भी निशान नहीं पाया गया।

उपरोक्त के कारण, माननीय न्यायाधीश इस बिंदु पर भी विद्वान सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। उच्च न्यायालय की राय में बचाव पक्ष सही है कि रियाया ने श्री इंद्रजीत सिंह और श्री इंद्रपाल सिंह पर हमला किया, कि श्री उदय प्रताप सिंह ने अन्य जमींदारों को खबर दी, वे पहुंचे, रियाया  के साथ बहस करने की कोशिश की, रियाया  आक्रामक हो गयी और सुलह  के बजाय उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने बंदूक छीन ली, हालांकि वह उससे वापस ले ली गई थी। जमींदारों ने हवा में गोलियां चलाईं लेकिन रियाया नहीं रुकी और उन्होंने अपना हमला तेज कर दिया और फिर  जमींदारों ने उन पर गोलियां चला दीं।

अगले बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, जमींदारों को निजी रक्षा का अधिकार था या नहीं।  रियाया  सरसों की फसल को जबरदस्ती काटने  के लिए गयी थी , जिस पर उनका स्वामित्व नहीं था। ऐसा करने पर उन्होंने बल प्रयोग किया। उनका यह कृत्य डकैती का अपराध है। एक स्तर पर यह कहा गया कि वे नेक नियति से कार्य कर रहे थे।  माननीय न्यायाधीश ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। यह तथ्य कि फसल का स्वामित्व जमींदारों के पास था, न कि उनके पास था।  यदि वे उस पर कब्जा करना चाहते थे, तो उनके द्वारा  किया गया दावा  प्रकाणिक एवं वास्तविक नहीं था। यह एक झूठा दावा था, जो जमींदारी उन्मूलन के समय भूमि पर कब्ज़ा  करने की उनकी बेईमान योजना का पहला कदम था।

जमींदारों को फसल की रक्षा करने का पूरा अधिकार था।  जब उन्होंने पाया कि रियाया आक्रामक हो गयी हैं और उन पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने कानून के तहत निजी रक्षा का अधिकार हासिल कर लिया जो किरायदारो की मौत का कारण बन गया। शत्रुतापूर्ण भीड़ के सदस्य आईपीसी की धारा 100 के तहत, शरीर की निजी रक्षा का अधिकार बनता है । यदि अधिकार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के दिमाग में आक्रमणकर्ता से उसे गंभीर चोट की आशंका हो ऐसे में उसे आक्रमणकर्ता की मृत्यु तक का अधिकार बनता है।  जब एक शत्रुतापूर्ण भीड़, जिसकी संख्या अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 से 40 के बीच थी, लाठियों से लैस थी और जमींदार की पार्टी पर हमला कर रही थी, तो उनके मन में एक उचित आशंका पैदा हो गई कि उन्हें गंभीर चोट पहुंचेगी।वे एक दूसरे के लाठी के दायरे में थे। इसलिए गंभीर चोट की आशंका वास्तविक और उचित थी। इसलिए जमींदारों के पास विरोधियों की मौत का कारण बनने का अधिकार हो सकता था।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बहुत जोरदार तर्क दिया कि वर्तमान मामले में निजी बचाव के अधिकार को आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया गया। उन्होंने आईपीसी की धारा 99 के पैरा 4 पर भरोसा किया जो कहता है:

"निजी बचाव का अधिकार किसी भी मामले में आवश्यकता से अधिक नुकसान पहुंचाने का नहीं है।

सरकारी अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि भीड़ के एक या दो सदस्यों की हत्या पर्याप्त होती और आठ व्यक्तियों को मारना आवश्यक नहीं थी । इस बिंदु पर कोई अनुलंघनीय नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हर कोई अपनी परिस्थितियों से शासित होता है। अगर जमींदारों ने एक या दो गोलियां दागकर गोली चलाना बंद कर दिया होता, तो क्रोधित भीड़ जमींदारों को मार देती और फसल ले जाती। निजी बचाव का अधिकार ज़मींदारो के पास तब तक मौजूद था जब तक कि उन्हें गंभीर चोट की आशंका रहती। वर्तमान मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायाधीश की राय में ज़मींदारो के बचाव का अधिकार तब तक समाप्त नहीं होता जब तक शत्रुतापूर्ण भीड़ भाग नहीं जाती।

अगर ज़मींदारों ने रियाया के वापिस भागने के बाद भी उन पर गोलियां चलाना जारी रखा होता तो निश्चित रूप से यह तर्क दिया जाता कि उन्होंने निजी रक्षा के अपने अधिकार को पार कर लिया है। हालांकि, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पता चलता है कि जमींदारों के हाथों भीड़ के सदस्यों को 96 चोटें आईं, उनमें से संभवतः एक या दो पीठ पर थी और बाकी छाती और अन्य सामने के हिस्से पर थीं। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक भीड़ जमींदारों का सामना करती रही, तब तक फायरिंग जारी रही। वह भीड़ जो किसी भी कीमत पर सरसों की फसल को हासिल करने के घोषित उद्देश्य के साथ आई थी और जिसने शुरू से ही बहुत आक्रामक रवैया अपनाया था, वह जमींदारों के साथ आमने-सामने खड़े रहते हुए निष्क्रिय नहीं रह सकती थी। दो ही चीजें हो सकती थीं या तो वे हमला करते रहें या मुंह मोड़कर भाग जाएं। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के सुझाव के अनुसार तीसरा विकल्प था, यानी वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। यदि वे हाथ जोड़कर खड़े होते तो जमींदार दल के सदस्यों को चोट कैसे लग सकती थी। इसलिए माननीय न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि भीड़ आक्रामक हो गई थी और जब तक भीड़ ने अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा और हमला करना जारी रखा, तब तक जमींदारों ने गोलियां चलाईं। वे निजी रक्षा के अपने अधिकार से आगे नहीं गए । जैसे ही भीड़ ने मुंह मोड़ लिया फायरिंग बंद हो गई।

यह भी याद रखने योग्य है कि यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी अपने निजी बचाव के अधिकार को पूरी तरह साबित करे। उन्हें या तो खुद को बचाने के लिए गोलिया चलाये या शत्रुतापूर्ण भीड़ के हाथों मारे जाये। अतः अभियुक्त बरी होने का हकदार है। समग्र रूप से साक्ष्यों पर विचार करने पर अदालत के मन में एक उचित संदेह पैदा हो जाता है कि आरोपी उक्त अपवाद के लाभ का हकदार है या नहीं। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जमींदार निश्चित रूप से बरी होने के हकदार थे और सत्र न्यायालय ने उन्हें उन अपराधों से बरी करने के लिए सही निष्कर्ष निकाला है।

यह सच है कि इस मामले में आठ लोगों की जान गई है लेकिन दुर्भाग्य से मृतक खुद हमलावर थे। उन्होंने एक झूठा दावा पेश किया था और उस दावे को पूरी ताकत से लागू करना चाहते थे। जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें आपदा आने पर खुद को धन्यवाद देना चाहिए। हालाँकि यह एक खेदजनक त्रासदी है पर इस मामले में कोई कानूनी दायित्व नहीं बनता ।

उपरोक्त कारणों से माननीय न्यायाधीश ने अपील खारिज कर दी। अपने आदेश में उन्होंने कहा की प्रतिवादी जमानत पर हैं, उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

## माननीय पी एन सप्रू, न्यायाधीश द्वारा निर्णय

मैं सहमत हूँ। बड़ी अनिच्छा के साथ मैंने निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जिसे मैं नहीं कहता कि अनुचित रूप से प्रांतीय सरकार ने दायर किया था। इस भीषण त्रासदी में आठ लोगों की जान चली गई थी। 30 या 40 व्यक्तियों में से जो हमला कर रहे थे, मारे गए आठ लोगों के अलावा, ग्यारह को चोटें आईं। मुख्य सवाल यह है कि क्या आरोपित व्यक्तियों ने अपनी संपत्ति और निजी रक्षा के अधिकार का आवश्यकता से अधिक प्रयोग किया । अभियोजन पक्ष के मामले में कठिनाई यह है कि जिस कहानी के लिए अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय के समक्ष खुद को जिम्मेदार ठहराया , उसकी पुष्टि किसी भी परिस्थितिजन्य या दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर कोई भरोसा किया जा सके, से नहीं होती । चौकीदार छज्जन ने घटना के एक घंटे के भीतर घटना स्थल से लगभग 2 मील दूर दादरी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई। ऐसा कुछ भी इंगित नहीं किया गया है जिससे यह संकेत मिले कि रिपोर्ट एक झूठा दस्तावेज है और चौकीदार ने जमींदारों के कहने पर लिखवाया था । मेरे मन में स्पष्ट है कि चौकीदार 40 या 50 कदम की दूरी से घटना का चश्मदीद गवाह था। यह सच है कि उसने जो रिपोर्ट दी वह एक संक्षिप्त दस्तावेज है, लेकिन इसमें यह इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि किरायेदार हमलावर थे और जमींदारों को फायरिंग का सहारा लेने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि किरायेदार लाठियों से उन पर हमला कर रहे थे।

माननीय न्यायाधीश ने माननीय न्यायाधीश बृजमोहन लाल द्वारा दिए गए निर्णय से सहमति व्यक्त की।